केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रारूप प्रतिवेदन–436)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i-vi**
प्रथम	अध्ययन संरचना	1–11
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	12–26
तृतीय	सर्वेक्षण परिणाम	27–28
	(i) भाग–I चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन	28–47
	(ii) भाग–II सर्वेक्षण हेतु चयनित ग्रामों की स्थिति	48–62
चतुर्थ	अध्ययन के मुख्य बिन्दु	63–65
	परिशिष्ट – 1	66

*****

उद्‌बोधन

राज्य में संतुलित विकास के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विकासीय योजनाओं के साथ ही एक ऐसी योजना की आवश्यकता अनुभूत की गयी जिसके माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पूंजीगत प्रकृति के छोटे–छोटे विकासात्मक निर्माण कार्य करवा कर सुदृढ़ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में विधायक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की गयी। योजना के तहत् प्रत्येक विधायक द्वारा वर्तमान में 80.00 लाख रूपये तक के जन उपयोगी कार्य अपने क्षेत्र में करवाने की अनुशंषा करने के प्रावधान किये गये। योजना के तहत अनुशंषित कार्य सम्पादित करवाने का दायित्व राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला स्तर पर जिला परिषदों को सौंपा गया।

योजना के तहत करवाये गये कार्यों की आवश्यकता, उपयोगिता ज्ञात करने हेतु कार्यकारी विभाग की पहल पर मूल्यांकन करवाया गया। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष इंगित करते हैं कि योजना के तहत सड़क, सामुदायिक भवन, शाला कक्ष, चारदीवारी, पेयजल आदि परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयोगी पाये गये तथा स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देने में सहायक रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर कार्यकारी वर्ग को अनुभूत कठिनाइयों की विवेचना करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिवेदन में यथा स्थान सारगर्भित एवं प्रासंगिक सुझाव दिये गये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन विभाग के लिए उपयोगी रहेगा।

माह – , 2009
स्थान– जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव
आयोजना विभाग

आमुख

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों से नागरिकों की अपेक्षा रहती है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के सार्वजनिक कार्य प्राथमिकता से अपने क्षेत्र में करवायें। जनता द्वारा चुने हुए विधायक सरकार एवं जनता के बीच सेतु के समकक्ष होते हैं। जनता की इसी मूल भावना को साकार रूप देने के लिये वर्ष 1999–2000 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक विकासीय कार्य करवाने की अनुशंषा विधायकगण द्वारा करने के प्रावधान किये गये हैं।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना के तहत करवाये गये सामुदायिक विकासीय कार्यों की उपयोगिता, आवश्यकता एवं प्रासंगिकता का मूल्यांकन सैम्पल आधार पर राज्य के चार जिलों यथा अजमेर, दौसा, करौली एवं उदयपुर की आठ पंचायत समितियों के 81 चयनित कार्यों का चयन कर किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यकारी विभागों की सूचनाओं, कार्यकारी अधिकारियों से विमर्श एवं कार्यों के भौतिक सत्यापन के आधार पर सम्पादित किया गया है।

अध्ययन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि योजना के तहत करवाये गये कार्य का चयन प्राथमिकता के आधार पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप हुआ है। करवाये गये कार्यों से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ ही जन सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है। योजना के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयाँ आदि यथास्थान उल्लेखित करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रतिवेदन में दिये गये हैं। मैं आशा करता हूँ कि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के लिए प्रतिवेदन उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक : नवम्बर, 2009
स्थान : जयपुर।

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

"विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I **प्रस्तावना** :

'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम' राज्य में वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में प्रत्येक विधायक महोदय को 25.00 लाख रूपये लागत के कार्य अभिशंषित करने के लिए अधिकृत किया गया था। कालान्तर में जिसे बढ़ाकर वर्ष 2000–2001 में प्रति विधायक 40.00 लाख वर्ष 2001–02 में 60.00 लाख रूपये एवं वर्ष 2007–08 से यह राशि 80.00 लाख रूपये प्रति विधायक के प्रावधान किये गये हैं। इस राशि से विधायक योजना के तहत स्वीकृत जनोपयोगी कार्य करवाने की अनुशंषा कर सकते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थायी प्रकृति के छोटे–छोटे कार्य आधारभूत ढाँचा सृजन एवं जन सुरक्षा के कार्य करवाने हेतु विधायक अनुशंषा करते हैं।

II **योजना के उद्धेश्य** :

(i) स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय/पंचायती राज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय के स्वामित्व की जन उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण कराना।

(ii) क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन को दूर करना।

(iii) स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना।

III **योजना की मुख्य–मुख्य विशेषताएँ एवं व्यवस्थाऐं** :

(i) विधायक अपने क्षेत्र में राजकीय कार्यालय भवन निर्माण/विस्तार/राजकीय हॉस्पिटल भवन/विस्तार, चिकित्सा उपकरण, एम्बूलेन्स, राजकीय कॉलेज भवन/विस्तार, विद्यालय भवन/विस्तार, कम्प्यूटर, जिलों को कनेक्ट करने वाली मुख्य सड़कें, हैण्डपम्प, पेयजल से सम्बन्धित अन्य कार्य करवाने के प्रस्ताव जिला परिषद को प्रेषित कर सकते हैं।

(ii) विधायक द्वारा अपने क्षेत्र में करवाने वाले 10.00 लाख रूपये तक के कार्यों के प्रस्ताव जिला परिषद को भिजवाये जाते हैं।

(iii) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य जो अकाल सहायता मद में स्वीकृति योग्य हों, उन कार्यों को अकाल सहायता मद की राशि के साथ डवलेट कर स्वीकृत किया जा सकता है।

(iv) योजना के तहत् स्वीकृत राशि दो किश्तों में जारी किये जाने के प्रावधान हैं।

प्रथम किश्त– 80 प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति जारी होने के साथ।

द्वितीय किश्त– शेष 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर।

(v) विधायक की अभिशंषा के बिना विधायक कोष की राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। योजना के तहत अनुदान एवं ऋण, भूमि को अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति एवं धार्मिक पूजा स्थल के लिए राशि का उपयोग प्रतिबन्धित है।

IV **मूल्यांकन की आवश्यकता** :

योजना के तहत जारी राशि, उपयोग, निर्मित कार्यों की उपयोगिता, राशि की पर्याप्तता आदि का आकलन करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना का मूल्यांकन किया गया।

V **अध्ययन के उद्धेश्य** :

(i) कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा।

(ii) योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की आवश्यकता, निर्माण के स्तर, उपयोगिता एवं स्थिति का आकलन।

(iii) योजना के प्रभावों की समीक्षा।

(iv) योजना के तहत् उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का आकलन।

(v) अनुभूत कठिनाइयाँ एवं सुझाव।

VI **न्यादर्श चयन** :

अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श प्रणाली का उपयोग किया गया। प्रथम स्तर पर वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक वर्षवार जारी राशि एवं व्यय की गयी राशि की अंग्रेजी वर्णमालानुसार सूची (परिशिष्ट–1) तैयार की गयी। सूची में से 4 जिलों क्रमशः अजमेर, दौसा, करौली एवं उदयपुर का साधारण न्यादर्श पद्धत्ति से चयन किया गया।

द्वितीय स्तर पर चयनित जिलों की विधायक क्षेत्रवार व्यय राशि की घटते क्रम में सूचीबद्ध तैयार कर साधारण न्यादर्श पद्धत्ति (रेण्डम सैम्पलिंग) से प्रत्येक चयनित जिले से 2–2 पंचायत समितियों/विधायक क्षेत्रों का चयन किया गया। प्रत्येक विधायक क्षेत्र से 2–2 ग्राम पंचायत जिनमें सर्वाधिक व्यय हुआ है, का चयन किया गया।

तृतीय स्तर पर चयनित ग्राम पंचायत में संदर्भित अवधि में करवाये गये सभी प्रकार के कार्यों की सूची बनाकर सभी प्रकार के कार्यों में से एक–एक कार्य का चयन किया गया।

VII **संदर्भ अवधि** :

अध्ययन से संबंधित प्रलेख सूचना कार्यक्रम के प्रारम्भ 2005–06 से लेकर 2007–08 तक एकत्रित की गई है। अधिकारी/गैर अधिकारी एवं लाभार्थी के विचार सर्वे (माह जुलाई से नवम्बर 2008) से संबंधित है।

VIII **अध्ययन परिवेश** :

अध्ययन हेतु चयनित 4 जिलों की 8 पंचायत समितियों/विधायक क्षेत्रों की 16 ग्राम पंचायतों का अध्ययन हेतु चयन किया गया। चयनित ग्राम पंचायतों से 81 कार्यों का चयन कर 228 लाभार्थियों से कार्य के दौरान सम्पर्क किया गया तथा क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पी.आर.ए. तकनीक के आधार पर विस्तृत विमर्श एवं अवलोकन टिप्पण के आधार पर कार्यक्रम के प्रभाव/क्रियान्विति पर विचार एकत्र कर प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया।

IX **राज्य स्तरीय वित्तीय एवं भौतिक प्रगति** :

एम.एल.ए. लैड योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में 1.4.05 को 17284.32 लाख रूपये अवशेष के उपलब्ध थे। वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक तीन वर्षों में 40018.89 लाख रूपये योजनान्तर्गत जारी किये गये। इस प्रकार संदर्भित अवधि में कुल उपलब्ध राशि 57303.21 लाख रूपये में से 45792.43 लाख रूपये व्यय हुए जो कुल उपलब्ध राशि का 79.91 प्रतिशत था। वर्ष 2008–09 के प्रारम्भ में 1.4.08 को 11510.78 लाख रूपये अवशेष रहे जो वित्तीय वर्ष 2005–06 को उपलब्ध अवशेष 17284.32 लाख रूपये से 5773.54 लाख रूपये से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि संदर्भित अवधि में योजनान्तर्गत जारी राशि के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है।

योजनान्तर्गत संदर्भित अवधि वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक 33590 कार्य स्वीकृत किये गये थे। 1.4.2005 को 7813 कार्य शेष उपलब्ध थे जिन्हें भी करवाया जाना था। अतः संदर्भित अवधि में कुल 41403 कार्य उपलब्ध थे, जिनमें से 45792.43 लाख रूपये व्यय कर 34325 (82.90 प्रतिशत) कार्य पूर्ण करवाये गये। 5851 कार्य अपूर्ण रहे जो कि 1.4.05 को शेष रहे कार्यों से 1962 कार्य कम हैं। वर्ष 2007–08 में शेष 1227 कार्य तीनों वर्षों में निरस्त पाये गये। अतः 82.90 प्रतिशत कार्य निर्माण की उपलब्धि सन्तोषजनक रही है।

X जिला स्तरीय प्रगति :

विधायक क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 07–08 तक चयनित चार जिलों यथा अजमेर, दौसा, करौली एवं उदयपुर में कुल 4497 कार्य स्वीकृत किये गये एवं 812 कार्य दिनांक 01.04.05 को गत वर्षों के शेष उपलब्ध थे। इस प्रकार कुल 5309 कार्य चयनित चारों जिलो की जिला परिषदों को संदर्भित अवधि में पूर्ण करवाये जाने का लक्ष्य था। लक्ष्य के विपरीत संदर्भित अवधि में 4570(86.08 प्रतिशत) कार्य पूर्ण करवाये गये। 667(12.56 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण रहे एवं 72(1.36 प्रतिशत) कार्य निरस्त हुए। दिनांक 1.4.05 को कुल 812 कार्य थे जो वर्ष 2008 में घटकर 670 रह गये।

चयनित जिलों को वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक जारी की गयी कुल राशि एवं 1.4.05 को उपलब्ध राशि 7813.36 लाख रूपये में से वर्ष 2007–08 के अन्त तक 6863.17 लाख (87.84 प्रतिशत) राशि व्यय की गयी। अतः चयनित जिलों मे संदर्भित अवधि में उपलब्ध राशि के विपरीत 87.84 प्रतिशत राशि व्यय कर आवंटित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये गये। समग्र रूप से कार्य का आंकलन करने पर परिलक्षित होता है कि 1.4.05 को अवशेष 2213.36 लाख रूपये के विपरीत 2007–08 का अवशेष राशि घटकर 950.19 लाख रूपये रही, जो विभाग के कुशल प्रबोधन का परिणाम है।

XI राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सूचनाओं में विभेद :

मूल्यांकन हेतु संकलित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचनाओं की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि राज्य एवं जिला स्तर से संकलित सूचनाओं से अन्तर पाया गया है। विभाग को जिला स्तर से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा कर तदनुसार ही इकजाही सूचना तैयार करनी चाहिए जिससे राज्य स्तर एवं जिला स्तर की सूचनाओं में एकरूपता रहे।

XII एम.एल.ए. लेड योजनान्तर्गत चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं सर्वे परिणाम :

विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कार्यों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता का आंकलन करने हेतु कुल 81 कार्यों का चयन किया गया जिसमें 75 कार्य सर्वे तिथी को पूर्ण पाये गये। चयनित 81 कार्यों हेतु 152.47 लाख रूपये स्वीकृत एवं 136.16(93.30) लाख रूपये व्यय हुए। कुल 2863 श्रमिकों का नियोजन हुआ जिनमें 1087 महिलाएँ एवं 1776 पुरूष पाये गये। नियोजित श्रमिकों में 1919 ए.पी.एल. वर्ग के श्रमिक थे। कार्य पूर्ण होने की अवधि 21 से 86 दिन पायी गयी। सर्वे तिथि तक चयनित 81 में से 75 कार्य सन्तोषप्रद एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी पाये गये एवं 74 कार्यों का उपयोग हो रहा था। निम्न प्रमुख कार्यों का भौतिक सत्यापन/वस्तुस्थिति इस प्रकार है :–

(1) सड़क निर्माण :

योजना के तहत चयनित 23 कार्यों में 2 कार्य अजमेर, 8 दौसा, 7 करौली एवं 6 कार्य उदयपुर जिले में करवाये गये थे। जिन पर 41.55 लाख रूपये स्वीकृति के विपरीत 37.49 (90.23 प्रतिशत) राशि व्यय हुई। व्यय की गई राशि 37.49 लाख रूपये में से 9.88 लाख रूपये श्रम एवं 27.61 लाख रूपये सामग्री पर व्यय हुए। सड़क निर्माण कार्य पर 915 श्रमिक लगाये गये जिनमें 413 महिलाएं एवं 502 पुरूष थे। 782 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 133 अन्य जाति के श्रमिक थे। भौतिक सत्यापन के 23 में से 22 सड़क कार्य सन्तोषप्रद पाये गये एवं 22 सड़क निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी जारी किये जा चुके थे। सड़कों पर निर्माण कार्य में उपयोग में ली गई सामग्री के संबंध में चयनित ग्राम के समूह से हुई चर्चानुसार समिश्रण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं होने से कुछ सड़कों में टूटफूट, गढ़ढ़े दृष्टिगत हुए। सड़क निर्माण कार्य में मुख्यतः स्वीकृत राशि देर से प्राप्त होना, सामग्री का समिश्रण का अनुपात ठीक नही होना, सड़कों पर अतिक्रमण, निजी भूमि–भवन तक सड़क निर्माण एवं सड़कों के रखरखाव की मुख्य कठिनाईयाँ पाई गई। विभाग को निर्माण के पश्चात् रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।

(2) सामुदायिक भवन :

एम.एल.ए. स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत 20 सामुदायिक भवन निर्माण करवाये गये। जिन पर 49.73 लाख रूपये राशि स्वीकृत के विपरीत 40.74 लाख (83.76 प्रतिशत) रूपये व्यय हुए। चयनित 20 में से 17 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये। 3 सामुदायिक केन्द्रों में एक की खिड़कियों की जाली का कार्य शेष होने, एक में प्लास्टर एवं फर्श का कार्य अपूर्ण रहने एवं एक पर वर्षा के कारण निर्माण कार्य रोक देने से कार्य अपूर्ण थे एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुए थे। सर्वे के समय चयनित 20 में से 15 केन्द्रों की स्थिति अच्छी पायी गयी। 5 केन्द्रों में निर्माण कार्य में कमी, खिडकी नहीं लगना, गेट नहीं लगना आदि पाया गया।

(3) **कक्ष निर्माण** :

योजनान्तर्गत 22.20 लाख रूपये की स्वीकृति के विपरीत 19.65 (88.51 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय कर 12 कक्षों का निर्माण करवाया गया। सर्वेक्षण के समय प्राप्त सूचनानुसार 12 में से 10 कमरे पूर्व में चल रहे विद्यालय में निर्मित करवाये गये थे। जिसकी स्कूल में आवश्यकता भी थी। कार्य की गुणवत्ता ठीक थी एवं निर्मित कक्षों का उपयोग हो रहा था। 2 कमरों का कार्य प्रगति पर था। 10 कमरों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित कर दिये गये थे। 12 निर्माण कार्यों पर 438 श्रमिकों ने कार्य किया जिनमें 130 महिलाएँ एवं 308 पुरूष थे एवं 106 बी.पी.एल. एवं 332 ए.पी.एल. श्रेणी में थे। कमरों का उपयोग बच्चों के बैठने के लिए काम में आ रहे थे।

(4) **चारदीवारी** :

योजनान्तर्गत चारदीवारी का निर्माण 7 स्थानों यथा 2 स्कूल भवनों के, 1 श्मशान भूमि पर, 1 आयुर्वेदिक औषधालय भवन, 1 चबूतरे के पास, 2 तालाब के पास करवाया गया। इस पर 12.50 लाख रूपये स्वीकृति के विपरीत 11.80 लाख रूपये व्यय में 3.31 लाख रूपये श्रम पर एवं 7.59 लाख रूपये सामग्री पर व्यय हुए। 6 कार्यों पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे एवं 1 कार्य निर्माण प्रगति पर होने से जारी नहीं हुआ था। चारदीवारी निर्माण पर कुल 334 श्रमिकों ने कार्य किया जिनमें 88 महिलाएँ एवं 246 पुरूष पाये गये। सर्वे के समय 5 स्थानों पर निर्माण कार्य सन्तोषजनक पाया गया एवं चारदीवारी निर्माण के बाद अतिक्रमण हेतु चारदीवारी तोड़ देना आदि मुख्य कठिनाईयाँ रही।

(5) **अन्य निर्माण कार्य** :

योजनान्तर्गत खरन्जा/फर्श निर्माण के 5 कार्य, विश्राम गृह के 4 कार्य, शौचालय के 3 कार्य एवं बोरिंग, खेली, डेयरी, कुआं, तलैया, शैड एवं प्याऊ आदि के 12 कार्य करवाये गये।

XIII **कार्यों की उपयोगिता** :

एम.एल.ए. लेड योजनान्तर्गत निर्मित चयनित 81 कार्यों में से 23 सड़क निर्माण कार्य का उपयोग ग्रामवासियों के आवागमन हेतु हो रहा था। 20 सामुदायिक केन्द्रों में 17 का उपयोग स्थानीय जनता, सामाजिक कार्यों यथा शादी विवाह, ग्राम सभा मीटिंग, सरकार/एन जी ओ द्वारा शिविर लगाना, चौपाल मीटिंग आदि आदि कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। 20 विद्यालयों में निर्मित कक्षा कक्ष का उपयोग विद्यार्थियों के बैठने एवं शिक्षा गृहण हेतु उपयोग में लाये जा रहे हैं। इसके साथ ही 7 चारदीवारी निर्माण कार्य से स्कूलों की सुरक्षा, श्मशान भूमि की सुरक्षा, आयुर्वेदिक औषधालय की सुरक्षा हुई है एवं इनकी भूमि का अतिक्रमण से बचाव हुआ है। इसके अतिरिक्त विश्राम गृह, शौचालय, प्याऊ आदि निर्माण से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है।

XIV **कठिनाईयाँ एवं सुझाव** :

योजनान्तर्गत निर्मित सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, चारदीवारी निर्माण आदि कार्यों के रखरखाव की पुख्ता व्यवस्था के अभाव में जीर्णशीर्ण/टूटफूट जाती है। सड़कों में गडढ़े हो जाते हैं, सामुदायिक भवन चारदीवारी में टूटफूट हो जाती है तो उसको यथासमय मरम्मत के अभाव में टूटफूट अधिक बढ़ जाती है। इसकी यथासमय मरम्मत की व्यवस्था की जानी चाहिये। सड़क निर्माण कार्य में सामग्री का समिश्रण निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं होना, सड़कों पर अतिक्रमण, स्वीकृत राशि देर से प्राप्त होना आदि योजनान्तर्गत कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई है। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए स्वीकृत राशि समय पर जानी की जाने की व्यवस्था की जाय एवं ग्राम स्तर पर एक सतर्कता समिति बनाई जाय जो इन कार्यों की देखरेख कर सके।

निष्कर्ष :

संक्षेप में मूल्यांकन दल द्वारा सर्वेक्षित 81 कार्यों में 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण पाये गये। पूर्ण कार्यों का जन कल्याण हेतु उपयोग हो रहा था। निर्मित कार्यों की गुणवत्ता सन्तोषप्रद थी। समग्र रूप से योजना के तहत चयनित कार्य आवश्यकतानुसार योजना के प्रावधानों की दृष्टि से उपयुक्त पाये गये। कार्यों का निर्माण स्तर भी सन्तोषजनक पाया गया।

———

अध्याय प्रथम

अध्ययन संरचना

1.0 **प्रस्तावना–**

1.1 राज्य की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। विधायकों का दायित्व होता है कि वे जनता की जरूरतों से सरकार को अवगत करवायें जिससे राज्य सरकार विभिन कार्यक्रमों के तहत उन क्षेत्रों में विकासीय कार्य करवा सकें। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत् करवाये जाने वाले कार्यों के साथ ही स्थानीय नागरिकों की अपने विधायकों से अपेक्षा होती है कि वे स्थानीय आवश्यकता का कार्य प्राथमिकता से अपने क्षेत्र में करवा सकें। इसी मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1999–2000 में विधानसभा सदस्यों की अनुशंषा के अनुरूप उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थायी प्रकृति के छोटे–छोटे आधारभूत ढाँचा सृजन एवं जन सुरक्षा के निर्माण कार्य करवाने हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रारम्भ की गयी। योजना के तहत् वर्ष 2001–02 से 60.00 लाख रूपये का आवंटन प्रतिवर्ष प्रति विधायक किया जाता है। इस राशि से विधायक योजना के तहत् स्वीकृत जन उपयोगी कार्य करवाने की अनुशंषा कर सकते हैं। वर्ष 2007–08 से योजनान्तर्गत प्रति विधायक 80.00 लाख रूपये की लागत के कार्य की अनुशंषा करने के प्रावधान किये गये।

1.2.0 **योजना के उद्धेश्य** :

(i) स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय/पंचायती राज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय के स्वामित्व की जन उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण कराना।

(ii) क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन को दूर करना।

(iii) स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना।

1.3.0 **योजना की विशेषताएँ एवं व्यवस्थाऐं** :

(i) विधायक निर्धारित सीमा राशि में जनोपयोगी कार्यों के प्रस्ताव जिला परिषद को प्रेषित कर सकते हैं।

(ii) विधायक वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत तक की राशि के प्रस्ताव पूर्व निर्मित सामुदायिक उपयोग की परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

(iii) किसी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत राशि के पेटे बचत होने पर बचत जितनी अधिक राशि को जोड़ते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं पूर्व में स्वीकृत कार्य पर आवंटन से अधिक व्यय होने पर आगामी वर्ष में कुल आवंटन में से उतनी राशि कम करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं।

(iv) आवंटित राशि के प्रस्ताव उसी वित्तीय वर्ष में अभिशंषित कर स्वीकृत करवाना आवश्यक है।

(v) वित्तीय वर्ष में विधायक कोष की राशि अवशेष रहने पर जिला परिषद के निजी निक्षेप में जमा रहती है एवं जिला परिषद राज्य सरकार की अनुमति से इसका उपयोग कर सकती है।

(vi) विधायक अपने क्षेत्र/जिले में राजकीय कार्यालय भवन/विस्तार/राजकीय हॉस्पिटल भवन/विस्तार, चिकित्सा उपकरण, एम्बूलेन्स, राजकीय कॉलेज भवन/विस्तार, विद्यालय भवन/विस्तार, कम्प्यूटर, जिलों को कनेक्ट करने वाली मुख्य सड़कें, हैण्डपम्प, पेयजल से सम्बन्धित अन्य कार्य करवाने के प्रस्ताव जिला परिषद को प्रेषित कर सकते हैं।

(vii) जिले के निर्वाचित सभी विधायक अपने जिले में सामुदायिक महत्व के कार्य के प्रस्ताव सम्मिलित रूप से भी प्रेषित कर सकते हैं।

(viii) विधायक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकार के हिस्से की ऐवज में अपने कोटे की राशि भी प्रस्तावित कर सकते हैं।

(ix) विधायक द्वारा अपने क्षेत्र में करवाने वाले 10.00 लाख रूपये तक के कार्यों के प्रस्ताव जिला परिषद को भिजवाये जाते हैं। 10.00 लाख रूपये से अधिक राशि के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये जिला परिषद को राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होता है।

(x) विधायक की अभिशंषा के बिना विधायक कोष की राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(xi) योजना के तहत् करवाये गये कार्यों बाबत् सूचना फलक कार्यस्थल पर लगवाना आवश्यक है।

(xii) योजना के तहत् स्वीकृत कार्य ठेके पर नहीं करवाये जा सकते हैं। तकनीकी दृष्टि से आवश्यक होने पर कार्य ठेके पर करवाने के लिए स्वीकृतिकर्ता द्वारा औचित्य सहित आदेश निकालना आवश्यक है।

(xiii) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य जो अकाल सहायता मद में स्वीकृति योग्य हों, उन कार्यों को अकाल सहायता मद की राशि के साथ डवलेट कर स्वीकृत किया जा सकता है।

(xiv) विधायक का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में होने पर वह जिला, जिसके लिये राशि आवंटित की गयी हो, नोडल जिला माना जाना है।

(xv) योजना के तहत् स्वीकृत राशि दो किश्तों में जारी किये जाने के प्रावधान हैं।

प्रथम किश्त– 80 प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति जारी होने के साथ।

द्वितीय किश्त– शेष 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करनें पर।

1.4.0 **योजना के तहत करवाये जाने वाले अनुमत कार्य** :

(i) समग्र ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग दर्शिकाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले सामुदायिक उपयोग के कार्य।

(ii) पेयजल के कार्य।

(iii) किसी ग्राम/नगर की आबादी सीमा में सड़क (ग्रेवल/मेटल/डामर/सीमेन्ट) खरंजा एवं नाली निर्माण।

(iv) शहरी क्षेत्र में सीवरेज का कार्य।

(v) (अ)चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन।

(ब)शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन/कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर/अध्ययन–अध्यापन सामग्री/स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी आदि क्रय।

(स)सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये भवन बशर्ते वे शिक्षण संस्थायें कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हों।

(द)सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर।

(vi) ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम./डामर/सीमेन्ट सड़क के कार्य।

(vii) ग्राम/शहर में तालाबों की सफाई/डिस्ल्टिींग का कार्य।

(viii) पारम्परिक जलस्त्रोतों के विकास के कार्य।

(ix) गांवों के सम्पर्क सड़कों/रास्तों के लिये पुलिया/रपट का कार्य।

(x) पर्यटन स्थलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का कार्य।

(xi) पशुधन के लिये पीने के पानी की सुविधा विकसित करने का कार्य।

(xii) पशु स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य।

(xiii) (अ)चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स।

(ब)पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते दवाखानों की व्यवस्था।

(स)रेड क्रॉस/रामकृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिये एम्बूलेन्स।

(xiv) श्मशान/कब्रिस्तान आदि की चारदीवारी एवं सुविधायें विकसित करने का कार्य।

(xv) पुस्तकालय भवन / बस स्टेण्ड / धर्मशाला /विश्रामगृह/स्टेडियम/वालिम्की भवन/ सामुदायिक भवन।

(xvi) विद्युतिकरण।

(xvii) सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्माण के मरम्मत कार्य।

(xviii) चारदिवारी निर्माण।

(xix) स्पोर्टस कॉम्पलेक्स।

(xx) जनोपयोगी कार्य।

(xxi) अन्य योजना में स्वीकृत किन्तु राशि के अभाव में अपूर्ण कार्य।

(xxii) जिला परिषदों/ग्रामीण प्रकोष्ठ/पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन/कम्प्यटर क्रय करने की अनुशंषा की जा सकती है।

(xxiii) सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना।

(xxiv) राजस्थान सरकार के स्वीकृत अदालत भवन/कार्यालय भवन/पंचायत राज संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य।

(xv) इलेक्ट्रोनिक परियोजनायें :
(अ) सूचना फुटपाथ (ब) माध्यमिक विद्यालयों में हैम क्लब
(स) सिटीजन बैण्ड रेडियो (द) ग्रंथ सूची–डाटा बेस परियोजनायें।

(xvi) स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिसपोजन सिस्टम।

(xvii) जयपुर मुख्यालय पर सूचना केन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र का निर्माण।

(xviii) राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान महाविद्यालयों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने के लिये संबंधित कॉलेज विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिये आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकट्ठी राशि की व्यवस्था की जाती है। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि विधायक की अभिशंषा पर उपयोग में ली जा सकती है।

(xxix) जयपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित हज हाउस के निर्माण हेतु राज्य के सभी विधायक यदि वे चाहें तो अपने विधायक कोटे से प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर सकते हैं।

(xxx) राजकीय डाक बंगलों में ए.सी. कूलर एवं पंखें

(xxxi) राजकीय अस्पतालों के लिए चद्दर, कम्बल एवं गद्दे

(xxxii) राज्य पुलिसकर्मी आवासीय भवन निर्माण का कार्य अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रम मद अकाल राहत से दिये जाने की शर्त पर सामग्री मद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है।

(xxxiii)अतिरिक्त पुलिस अद्यीक्षक कार्यालय/उप अद्यीक्षक कार्यालय एवं थानों के लिये कम्प्यूटर मय लेजर प्रिन्टर, स्केनर एवं फैक्स क्रय करने हेतु एकमुश्त राशि (अनावर्ति व्यय) स्वीकृत की जा सकती है।

(xxxiv)उपखण्ड कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व फैक्स मशीन क्रय करने हेतु एकमुश्त राशि (अनावर्ति) स्वीकृत की जा सकती है।

(xxxv) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (सितम्बर, 2006 के आदेशानुसार) में राहत कार्य करवाये जा सकते हैं।

(xxxvi)कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग होने पर सी.सी.रोड निर्माण (मार्च 2007 से) करवाया जा सकता है।

(xxxvii)सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर एवं फैक्स मशीन (दिसम्बर 2007 के आदेशानुसार) क्रय किये जा सकते हैं।

1.5.0 **योजना के तहत प्रतिबन्धित कार्य** :

(i) अनुदान एवं ऋण।

(ii) वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिये सम्पत्ति।

(iii) वस्तु/सामान की खरीद।

(iv) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।

(v) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति।

(vi) धार्मिक पूजा स्थल।

1.6.0 **योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन** :

1.6.1 राज्य स्तर से प्रतिवर्ष योजना मद की राशि का लेखानुदान/बजट पारित होने के बाद प्रत्येक जिले को उनके विधायकों की संख्या के आधार पर बजट आवंटित किया जाता है। जिलों को आवंटित राशि का 50 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में जिला परिषद को जारी किया जाता है लेकिन इसके लिये जिला परिषद द्वारा गत वर्ष की उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत तक व्यय होना आवश्यक है शेष 50 प्रतिशत राशि चालू वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि के 60 प्रतिशत तक व्यय होने पर जारी की जाती है । योजना के तहत् कार्य की लागत की शत प्रतिशत राशि स्वीकृत करने के प्रावधान हैं। लेकिन जन सहयोग से किसी योजना में 20 प्रतिशत राशि प्राप्त होने पर शेष राशि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.एल.ए. लैड) योजना में स्वीकृत की जा सकती है।

1.7.0 **नोडल एजेन्सी** :

1.7.1 एम.एल.ए. लेड योजना के लिये राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला स्तर पर जिला परिषद नोडल एजेन्सी है।

1.8.0 **कार्यक्रम की प्रगति** :

1.8.1 एम.एल.ए. लैड योजना के तहत् वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 57303.21 लाख रूपये की राशि विकासीय कार्यों हेतु जिलों के पास उपलब्ध पायी गयी। उपलब्ध राशि में 17284.32 लाख रूपये वर्ष 2004–05 का अवशेष एवं शेष 12000.00 लाख, 12000.00 लाख एवं 16018.89 लाख रूपये संदर्भित अवधि क्रमशः 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में जिलों को जारी की गयी थी। आवंटन के विपरीत 45792.43 (79.91 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि संदर्भित अवधि में व्यय की गयी।

(जारी एवं व्यय राशि की जिलेवार सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है)

आवंटन एवं व्यय की एकजाही प्रगति निम्नानुसार है :–

		(राशि लाख रूपये में)
(अ)	योजनान्तर्गत 1.4.05 को अवशेष राशि	17284.32
(ब)	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक वर्षवार आवंटित राशि क्रमशः 12000.00, 12000.00 एवं 16018.89 अर्थात कुल राशि	40018.89
(स)	योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल उपलब्ध राशि	57303.21
(द)	योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल व्यय राशि	45792.43
(य)	योजनान्तर्गत कुल राशि का व्यय प्रतिशत	79.91
(र)	1.4.08 को अवशेष राशि	11510.78

1.8.2 उपरोक्त प्रगति से अवगत होता है कि वर्ष 2005–06 में 1.4.05 को 17284.32 लाख रूपये अवशेष के उपलब्ध थे। वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक तीन वर्षों में 40018.89 राशि योजनान्तर्गत जारी की गई। इस प्रकार संदर्भित अवधि में कुल उपलब्ध राशि 57303.21 लाख रूपये में से 45792.43 लाख रूपये व्यय हुए जो कुल उपलब्ध राशि का 79.91 प्रतिशत था। वर्ष 2008–09 के प्रारम्भ में 1.4.08 को 11510.78 लाख रूपये अवशेष रहे जो वित्तीय वर्ष 2005–06 को उपलब्ध अवशेष 17284.32 लाख रूपये से 5773.54 रूपये से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि संदर्भित अवधि में योजना के तहत् जारी राशि के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है।

1.9.0 **मूल्यांकन की आवश्यकता** :

1.9.1 योजना के तहत जारी राशि, उपयोग, निर्मित कार्यों की उपयोगिता, राशि की पर्याप्तता आदि का आकलन करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना का मूल्यांकन किया गया।

1.10.0 **अध्ययन के उद्धेश्य** :

(i) कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा।

(ii) योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की आवश्यकता, निर्माण के स्तर, उपयोगिता एवं स्थिति का आकलन।

(iii) योजना के प्रभावों की समीक्षा।

(iv) योजना के तहत् उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का आकलन।

(v) अनुभूत कठिनाईयाँ एवं सुझाव।

1.11.0 **न्यादर्श चयन** :

1.11.1 सर्वप्रथम अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श प्रणाली का उपयोग करते हुए जिलों को वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक वर्षवार जारी राशि एवं व्यय की गयी राशि की अंग्रेजी वर्णमालानुसार सूची (परिशिष्ट–1) तैयार की गयी। योजना के तहत राज्य के सभी जिलों को प्रति विधायक समान राशि जारी करने के प्रावधान होने से सूची में से 4 जिलों का साधारण न्यादर्श पद्धत्ति से चयन किया गया। इस प्रकार प्रथम स्तर पर चार जिलों क्रमशः अजमेर, दौसा, करौली एवं उदयपुर का चयन किया गया।

1.11.2 द्वितीय स्तर पर चयनित जिलों की विधायक क्षेत्रवार व्यय राशि की घटते क्रम में सूची तैयार कर साधारण न्यादर्श पद्धत्ति (रेण्डम सैम्पलिंग) से प्रत्येक चयनित जिले से 2–2 पंचायत समितियों विधायक क्षेत्रों का चयन किया गया। प्रत्येक विधायक क्षेत्र से 2–2 ग्राम पंचायत जिनमें सर्वाधिक व्यय हुआ है, का चयन किया गया।

1.11.3 अन्तिम स्तर पर चयनित ग्राम पंचायत में संदर्भित अवधि में करवाये गये सभी प्रकार के कार्यों की सूची बनाकर सभी प्रकार के कार्यों में से एक–एक कार्य का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में से न्यूनतम 5 कार्यों का चयन आवश्यक है। अतः यदि ग्राम पंचायत में 5 प्रकार के कार्य नहीं हुए हों तो करवाये गये कार्यों में से कोई पाँच कार्यों का चयन किया गया। इस प्रकार कुल चयनित सैम्पल निम्नानुसार है।

1.	चयनित जिले	4
2.	चयनित पंचायत समितियाँ/विधानसभा क्षेत्र	8
3.	चयनित ग्राम पंचायतें	16
4.	चयनित न्यूनतम कार्य	81
5.	चयनित लाभार्थी श्रमिक	228
6.	चयनित समूह	28

1.12.0 **प्रयुक्त अनुसूचियाँ** :

1.12.1 अध्ययन हेतु निम्न अनुसूचियाँ भरी गई :–

1. **प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों, विधायक क्षेत्रों एवं ग्राम पंचायतों की योजना के तहत स्वीकृत राशि, स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, निरस्त कार्य आदि सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गई है।

2. **कार्य अनुसूची** :

इस अनुसूची में चयनित कार्य हेतु आवंटित राशि, व्यय, कार्य में लगने वाला समय व कार्य की उपयोगिता सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गई है।

3. **श्रमिक अनुसूची** :

चयनित ग्राम में योजनान्तर्गत चल रहे कार्य पर कार्य करने वाले लाभार्थी से इस अनुसूची में प्राप्त रोजगार, मजदूरी व उसके उपयोग सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जावेगी। लाभार्थी/श्रमिक का चयन करते हुए यथासम्भव अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला सभी वर्गों का चयन किया गया है।

4. **सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची** :

योजना से सम्बन्धित चयनित जिलों के विधायक, जिला परिषद के मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.ए. योजना के प्रभारी अधिकारी, विकास अधिकारी, ए.ई.एन., ग्राम सेवक, सरपंच, पंच, पटवारी, मेट आदि से इस अनुसूची में कार्यों का चयन, उपयोगिता, गुणवत्ता, कार्यक्रम के संचालन में आ रही कठिनाईयाँ एवं सुझाव एकत्रित किये गये हैं।

5. **समूह अनुसूची** :

क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पी.आर.ए. तकनीक के आधार पर विस्तृत अवलोकन टिप्पण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें चयनित ग्राम में उपलब्ध संसाधन, आधारभूत सुविधाएँ, कार्यक्रम की उपयोगिता, कठिनाइयाँ एवं सुझाव हैं। टिप्पण में उन बिन्दुओं का भी समावेश किया गया है, जिनकी सूचना/विचार अनुसूची में नहीं आ सकी। संक्षेप में टिप्पणी तथ्यों पर आधारित एवं गुणात्मक हैं।

1.13.0 **संदर्भ अवधि** :

1.13.1 अध्ययन से संबंधित प्रलेख सूचना कार्यक्रम के प्रारम्भ 2005–06 से लेकर 2007–08 तक एकत्रित की गई है। अधिकारी/गैर अधिकारी एवं लाभार्थी के विचार सर्वे (माह जुलाई से नवम्बर 2008) से संबंधित है।

————

अध्याय द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के मूल्यांकन हेतु चार जिलों यथा अजमेर, दौसा, करौली एवं उदयपुर का चयन किया गया। चयनित जिले से प्रति जिला 2–2 पंचायत समितियों एवं प्रति पंचायत समिति 2–2 ग्राम पंचायतों का चयन कर योजना के तहत स्वीकृत कार्य, पूर्ण/अपूर्ण कार्य, आवंटित राशि, व्यय राशि आदि की प्रगति का आंकलन इस अध्याय में किया गया।

मूल्यांकन अध्ययन हेतु निम्नानुसार जिले, पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चयन कर निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाओं का संकलन किया गया :–

क्र.सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित पंचायत समितियाँ	चयनित ग्राम पंचायत	भरी गयी प्रलेख अनुसूचियाँ
1	अजमेर	भिनाय	कराटी भिनाय	7
		जवाजा	किशनपुरा सूरजपुरा	
2	दौसा	बांदीकुई	निधन्नपुरा	7
			बसवा	
		महवा	कोट टालाहेडी	
3	करौली	हिण्डौन	सोमला फुलवांडा काँचरोली	9
		सपोटरा	बूकना सपोटरा एकट	
4	उदयपुर	सराडा	परसाद खरबर	7
		खैरवाड़ा	खैरवाड़ा ऋषभदेवजी	
			योग :	**30**

2.1 **चयनित जिलों की वित्तीय/भौतिक प्रगति** :

चयनित समस्त इकाईयों से योजना के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं की जिलेवार पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार प्रगति निम्नानुसार पायी गयी :–

2.1.1 **योजनान्तर्गत स्वीकृत जिलेवार कार्य** :

विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् वर्ष 2005–06 से 07–08 तक चयनित जिले में कुल 4497 कार्य स्वीकृत किये गये एवं 812 कार्य दिनांक 01.04.05 को गत वर्षों के शेष उपलब्ध थे। इस प्रकार कुल 5309 कार्य चयनित चारों जिलो की जिला परिषदों को संदर्भित अवधि में पूर्ण करवाये जाने का लक्ष्य था। लक्ष्य के विपरीत संदर्भित अवधि में 4570(86.08 प्रतिशत) कार्य पूर्ण करवाये गये। 667(12.56 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण रहे एवं 72(1.36 प्रतिशत) कार्य निरस्त हुए। स्वीकृत, पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका– 1

स्वीकृत, पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिलेवार स्वीकृत, पूर्ण/अपूर्ण कार्य (2005–06 से 2007–08)						
	जिला	1.4.05 को शेष	2005–06 से 07–08 तक स्वीकृत	कुल	पूर्ण कार्य	1.4.08 को अपूर्ण कार्य	कार्य प्रारम्भ नहीं/निरस्त
1	अजमेर	276	1444	1720	1470	229	21
2	दौसा	96	712	808	689	75	44
3	करौली	141	494	635	543	88	4
4	उदयपुर	299	1847	2146	1868	275	3
	योग :	**812**	**4497**	**5309**	**4570**	**667**	**72**
	प्रतिशत :	**15.29**	**84.71**		**86.08**	**12.56**	**1.36**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में संदर्भित अवधि 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत + 1.4.05 को शेष रहे कुल 5309 कार्यों में से 4497 (84.71 प्रतिशत) नवीन स्वीकृत कार्य थे, जबकि 812 (15.29 प्रतिशत) कार्य

पिछले वर्षों के बकाया थे। कुल 5309 कार्यों में से 4570(86.08 प्रतिशत) कार्य संदर्भित अवधि में पूर्ण हुए। अर्थात यदि 1.4.05 के अपूर्ण कार्यों को नहीं जोड़ा जाए तो संदर्भित अवधि में 4497 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 4570 कार्य पूर्ण हुए। जिलेवार स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि दौसा के अतिरिक्त तीनों जिलों में संदर्भित अवधि 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत नवीन कार्यों की तुलना में पूर्ण कार्यों की संख्या अधिक रही। अजमेर जिले में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत 1444 कार्यों के विपरीत 1470(101.80 प्रतिशत), करौली में 494 के विपरीत 543 (109.92 प्रतिशत) एवं उदयपुर में 1847 के विपरीत 1868(101.14 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हुए। दौसा जिले में संदर्भित अवधि में स्वीकृत 712 कार्यों के विपरीत 689 (96.77 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हुए। वर्ष 2007–08 के अन्त तक चारों जिलों में कुल 667 कार्य अपूर्ण थे एवं 72 कार्य निरस्त हुए थे।

2.1.2 वर्षवार/विधानसभा क्षेत्रवार स्वीकृत कार्य :

संदर्भित अवधि वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक चयनित जिलों में स्वीकृत कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा करने से स्पष्ट है कि जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 124 से 185 कार्य प्रति विधानसभा क्षेत्र स्वीकृत हुए हैं, जैसा कि निम्न तालिका से परिलक्षित होता है :–

तालिका– 2

चयनित जिले में विधानसभा क्षेत्रवार/वर्षवार स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्रों की संख्या	वर्षवार जिले में स्वीकृत कार्य				
			2005–06	2006–07	2007–08	योग	प्रति विधानसभा क्षेत्रवार औसत कार्य
1	अजमेर	9	459	491	494	1444	160
2	दौसा	5	257	202	253	712	142
3	करौली	4	168	148	178	494	124
4	उदयपुर	10	542	642	663	1847	185
	योग :	**28**	**1426**	**1483**	**1588**	**4497**	**161**

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी जिलों में वर्षवार स्वीकृत कार्यों की संख्या का जिलों के विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जाए तो स्पष्ट होता है कि प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन 161 कार्य संदर्भित अवधि में स्वीकृत हुए। उदयपुर जिले में प्रति विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक औसत 185 कार्य एवं करौली में प्रति विधानसभा क्षेत्र लगभग 124 न्यूनतम कार्य स्वीकृत हुए। जिसका कारण कार्य की प्रकृति, जिले की भौगोलिक स्थिति एवं कार्य की लागत में अन्तर सम्भव है क्योंकि करौली चट्टानी इलाका होने एवं अन्य जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत कम आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध होने से यहाँ स्वीकृत कार्यों की प्रकृति भिन्न हो सकती है, जिसमें लागत अधिक आती है। क्योंकि प्रति विधायक प्रतिवर्ष स्वीकृत राशि समान होने से लागत में अन्तर होने से कार्यों की संख्या में अन्तर आना स्वाभावित होता है।

2.1.3 पूर्ण/अपूर्ण कार्य :

चयनित जिलों में योजना के तहत स्वीकृत/पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की वर्षवार एवं जिलेवार समीक्षा से स्पष्ट होता है कि जिलों में अपूर्ण कार्यों की संख्या में वर्ष 2005 की तुलना में 2008 में कमी हुई है। दिनांक 1.4.05 को कुल बकाया कार्य 812 थे जो वर्ष 2008 में घटकर 670 रह गये। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :–

तालिका– 3

वर्ष 2005–06 में जिलेवार कुल कार्य/पूर्ण कार्य/ निरस्त कार्य/अपूर्ण कार्यों की स्थिति

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	1.4.05 को शेष कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	निरस्त कार्य	1.4.06 को अपूर्ण कार्य
1	अजमेर	276	735	577 (78.50)	17 (2.31)	141 (19.19)
2	दौसा	96	353	260 (73.65)	25 (7.09)	68 (19.26)
3	करौली	141	309	209 (67.64)	4 (1.29)	96 (31.07)
4	उदयपुर	299	841	635 (75.51)	0	206 (24.49)
	योग :	**812**	**2238**	**1681 (75.11)**	**46 (2.06)**	**511 (28.83)**

वर्ष 2006–07 में जिलेवार कुल कार्य/पूर्ण कार्य/

निरस्त कार्य/अपूर्ण कार्यों की स्थिति

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	वर्ष 2006–07 में नवीन स्वीकृत कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	निरस्त कार्य	1.4.07 को अपूर्ण कार्य
1	अजमेर	491	632	477 (75.47)	3 (0.47)	152 (24.06)
2	दौसा	202	270	192 (71.11)	9 (3.33)	69 (25.56)
3	करौली	148	244	181 (74.18)	0	63 (25.82)
4	उदयपुर	642	848	553 (65.21)	0	295 (34.79)
	योग :	**1483**	**1994**	**1403** **(70.36)**	**12** **(0.60)**	**579** **(29.04)**

वर्ष 2007–08 में जिलेवार कुल कार्य/पूर्ण कार्य/ निरस्त कार्य/अपूर्ण कार्यों की स्थिति

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	वर्ष 2007–08 में नवीन स्वीकृत कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	निरस्त कार्य	1.4.08 को अपूर्ण कार्य
1	अजमेर	494	646	416 (64.40)	1 (0.15)	229 (35.45)
2	दौसा	253	322	237 (73.60)	10 (3.11)	75 (23.29)
3	करौली	178	241	153 (63.49)	0	88 (36.51)
4	उदयपुर	666	961	680 (70.76)	3 (0.31)	278 (28.93)
	योग :	**1591**	**2170**	**1486** **(68.57)**	**14** **(0.65)**	**670** **(30.92**

2.1.3.1 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि दिनांक 01.04.05 को कुल 812 कार्य अपूर्ण पाये गये थे। सर्वाधिक अपूर्ण कार्य उदयपुरएवं न्यूनतम अपूर्ण कार्य दौसा में थे। वर्ष 2005–06 के अन्त में कुल अपूर्ण कार्य 511 रहे। अर्थात अपूर्ण कार्यों की संख्या में वर्ष 2005–06 में 301 कार्यों की कमी हुई। अजमेर जिले में कार्य की प्रगति अन्य जिलों की तुलना में अच्छी रही।

2.1.3.2 आलौच्य वर्ष 2006–07 में वर्ष 2005–06 के अपूर्ण कार्य एवं नवीन स्वीकृत कुल 1994 कार्यों में से 1403(70.36 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हुए एवं 12(0.60 प्रतिशत) कार्य निरस्त हुए। वर्ष के अन्त में 579 (29.04 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण रहे। जिसमें सर्वाधिक अपूर्ण कार्य उदयपुर में पाये गये। उदयपुर में वर्ष 2005–06 के अन्त में 206 कार्य अपूर्ण थे जबकि वर्ष 2006–07 के अन्त में अपूर्ण कार्यों की संख्या बढ़कर 295 हो गयी। अन्य जिलों क्रमशः दौसा, करौली व अजमेर में अपूर्ण कार्यों की संख्या 1.4.05 एवं 1.4.06 की तुलना में कम पायी गयी।

2.1.3.3 वर्ष 2007–08 में दिनांक 1.4.08 को चारों जिलों में अपूर्ण रहे कार्यों की संख्या में वर्ष 2005–06, 2006–07 की तुलना में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई। उदयपुर जिले में 1.4.07 को अपूर्ण रहे 295 कार्यों की तुलना में 1.4.08 को 278 कार्य अपूर्ण रहे थे, जो अपूर्ण कार्यों की संख्या में मामूली कमी दर्शाते हैं।

2.1.4 वित्तीय प्रगति :

योजनान्तर्गत चयनित जिलों को वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 7813.36 लाख रूपये उपलब्ध हुए थे, जिसमें 2213.36 लाख रूपये वर्ष 2004–05 के अवशेष थे एवं शेष 5600.00 लाख रूपये वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक आवंटित किये गये थे। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है।

चयनित जिलेवार/वर्षवार वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	जिला	दिनांक 1.4.05 को शेष	स्वीकृत/जारी			कुल राशि	व्यय			कुल व्यय	शेष
			2005–06	2006–07	2007–08		2005–06	2006–07	2007–08		
1	अजमेर	781.81	540.00	540.00	720.00	2581.81	795.99	925.29	753.48	2474.76	107.05
2	दौसा	526.20	300.00	300.00	400.00	1526.20	309.74	306.26	383.77	999.77	526.43
3	करौली	323.57	240.00	240.00	320.00	1123.57	350.89	359.17	378.30	1088.36	35.21
4	उदयपुर	581.78	600.00	600.00	800.00	2581.78	732.13	748.92	819.23	2300.28	281.50
	योग	**2213.36**	**1680.00**	**1680.00**	**2240.00**	**7813.36**	**2188.75**	**2339.64**	**2334.78**	**6863.17**	**950.19**
	प्रतिशत									**87.84**	**12.16**

उपरोक्त तालिका में दी गयी सूचना से परिलक्षित होता है कि उदयपुर एवं अजमेर जिलों को संदर्भित अवधि में कुल 2581.78 एवं 2581.81 लाख रूपये उपलब्ध हुए। दौसा एवं करौली जिलों को क्रमशः 1526.20 एवं 1123.57 लाख रूपये उपलब्ध हुए। 1.4.05 को शेष रही राशि को कम कर दिया जाये तो वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में प्रति विधानसभा क्षेत्र 60.00 लाख रूपये एवं वर्ष 2007–08 में प्रति विधानसभा क्षेत्र 80.00 लाख रूपये आवंटित किये गये। जैसा कि निम्न सारिणी से स्पष्ट होता है।

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या	वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में आवंटित राशि (लाख रूपये में)	2007–08 में आवंटित राशि (लाख रूपये में)
1	अजमेर	9	540.00 लाख रूपये औसत आवंटन– 60.00 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र	720.00 लाख रूपये औसत आवंटन– 80.00 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र
2	दौसा	5	300.00 लाख रूपये औसत आवंटन– 60.00 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र	400.00 लाख रूपये औसत आवंटन– 80.00 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र
3	करौली	4	240.00 लाख रूपये औसत आवंटन– 60.00 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र	320.00 लाख रूपये औसत आवंटन– 80.00 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र
4	उदयपुर	10	600.00 लाख रूपये औसत आवंटन– 60.00 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र	800.00 लाख रूपये औसत आवंटन– 80.00 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र

जैसा कि उपरोक्त सूचना से स्पष्ट होता है कि सभी जिलों में विधानसभा क्षेत्रवार राशि समान अनुपात में नियमानुसार आवंटित की गयी।

चयनित जिलों को वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक जारी की गयी कुल राशि एवं 1.4.05 को उपलब्ध राशि 7813.36 लाख रूपये में से वर्ष 2007–08 के अन्त तक 6863.17 लाख (87.84 प्रतिशत) राशि व्यय की गयी। जिलेवार आवंटित राशि एवं व्यय राशि निम्नानुसार पायी गयी :–

जिले का नाम	1.4.05 को उपलब्ध राशि (लाख रूपये में)	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक जारी राशि (लाख रूपये में)	योग	व्यय	शेष राशि
अजमेर	781.81	1800.00	2581.81	2474.76 (95.85 %)	107.05 (4.15 %)
दौसा	526.20	1000.00	1526.20	999.77 (65.51 %)	526.43 (34.49 %)
करौली	323.57	800.00	1123.57	1088.36 (96.87 %)	35.21 (3.13 %)
उदयपुर	581.78	2000.00	2581.71	2300.28 (89.10 %)	281.50 (10.90 %)
योग :	**2213.36**	**5600.00**	**7813.36**	**6863.17 (87.84 %)**	**950.19 (12.16 %)**

उपरोक्त सूचना से स्पष्ट होता है कि जिलों मे संदर्भित अवधि में उपलब्ध कुल राशि के विपरीत 87.84 प्रतिशत राशि व्यय कर आवंटित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये गये। दौसा जिले के अतिरिक्त सभी अन्य जिलों में कुल राशि का (89.10 से 96.87 प्रतिशत) व्यय किया गया। दौसा जिले में कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत रूप से धीमी रही। समग्र रूप से कार्य का आंकलन करने पर परिलक्षित होता है कि 1.4.05 को अवशेष 2213.36 लाख रूपये के विपरीत 2007–08 का अवशेष राशि घटकर 950.19 लाख रूपये रही, जो विभाग के कुशल प्रबोधन का परिणाम है।

2.1.5 राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सूचनाओं में विभेद :

अध्ययन हेतु संकलित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचनाओं की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि राज्य एवं जिला स्तर से संकलित सूचनाओं से अन्तर पाया गया, जो निम्नानुसार पाया गया :–

विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में अन्तर
(राज्य स्तर व जिला स्तर से प्राप्त सूचना में)

भौतिक प्रगति :

क्र. सं.	जिले का नाम / वर्ष	राज्य स्तर				जिला स्तर			
		स्वीकृत	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	स्वीकृत	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1.	अजमेर								
	2005–06	–	–	–	241	–	–	–	110
	2006–07	–	–	–	152	–	–	–	81
	2007–08	–	–	–	229	–	–	–	111
2.	दौसा								
	2005–06	–	–	–	68	–	–	–	35
	2006–07	202	270	–	69	200	268	–	41
	2007–08	–	–	–	75	–	–	–	50
3.	करौली								
	2005–06	–	–	209	96	–	–	121	158
	2006–07	–	–	181	63	–	–	73	15
	2007–08	–	241	153	88	–	252	66	8
4.	उदयपुर								
	2005–06	–	–	–	206	–	–	–	198
	2006–07	–	–	–	295	–	–	–	282
	2007–08	–	958	–	275	–	955	–	221

(अन्तर संबंधी सूचनाओं का ही अंकन करने से शेष प्रकोष्ठों की सूचना शून्य दर्शायी गयी है)

विधायक क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में अन्तर

(राज्य स्तर व जिला स्तर से प्राप्त सूचना में)

वित्तीय प्रगति :

क्र. सं.	जिले का नाम / वर्ष	राज्य स्तर			जिला स्तर		
		1.4.05 को शेष	आवंटन / जारी राशि	व्यय राशि	1.4.05 को शेष	आवंटन / जारी राशि	व्यय राशि
1.	अजमेर						
	2005–06		540.00	795.99		532.91	496.24
	2006–07	781.81	540.00	925.29	23.65	819.19	710.44
	2007–08		720.00	753.48		846.25	–
2.	दौसा						
	2005–06		–	–		–	–
	2006–07	526.20	–	–	230.69	–	–
	2007–08		–	883.77		–	358.57
3.	करौली						
	2005–06		–	–		–	–
	2006–07	323.57	–	–	197.74	–	–
	2007–08		–	–		–	–

उपरोक्त विसंगतियों के साथ ही जिला स्तर से प्राप्त सूचनाओं में योजना के तहत् स्वीकृत कार्यों की कार्यवार सूचनाओं में भी विभेद पाया गया है। विभाग को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् जिला स्तर से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा कर तदनुसार ही एकजाही सूचना तैयार करनी चाहिये जिसमें राज्य स्तर एवं जिला स्तर की सूचनाओं में एकरूपता रहे। सूचनाओं का स्पष्ट एवं ग्राह्य अंकन नहीं होने से जिला स्तरीय प्रगति का विस्तृत विवेचन करना सम्भव नहीं हुआ है। अतः राज्य स्तर से प्राप्त प्रगति के आधार पर चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी है।

2.1.6 **चयनित पंचायत समितियों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति** :

अध्ययन हेतु चयनित चारों जिलों क्रमशः अजमेर, दौसा, करौली एवं उदयपुर में 2–2 पंचायत समितियों का चयन किया गया। चयनित पंचायत समितियों में स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी।

योजनान्तर्गत चयनित जिलानुसार पंचायत समितिवार वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल/पूर्ण/अपूर्ण एवं लम्बित कार्य

क्र. सं.	चयनित जिला/ पंचायत समिति	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक					
		दिनांक 1.4.05 को शेष	स्वीकृत कार्य	कुल	कार्य पूर्ण	कार्य लम्बित	कार्य अपूर्ण
1	**अजमेर**						
	जवाजा	0	68	68	60 (88.24%)	0	8 (11.76%)
	भिनाय	0	68	91	91 (100.00%)	0	0
	योग :	**0**	**159**	**159**	**151 (94.97%)**	**0**	**8 (5.03%)**
2	**दौसा**						
	बांदीकुई	1	64	65	51 (78.46%)	0	14 (21.54%)
	महुआ	8	92	100	96 (96.00%)	1 (1.00%)	3 (3.00%)
	योग :	**9**	**156**	**165**	**147 (89.09%)**	**1 (0.61%)**	**17 (10.30%)**
3	**करौली**						
	हिण्डौन	13	97	110	102 (92.73%)	0	8 (7.27%)
	सपोटरा	0	102	102	92 (90.20%)	0	10 (9.80%)
	योग :	**13**	**199**	**212**	**194 (91.51%)**	**0**	**10 (8.49%)**
4	**उदयपुर**						
	सराड़ा	10	191	201	185 (92.04%)	4 (1.99%)	12 (5.97%)
	खैरवाड़ा	11	160	171	146 (85.38%)	0	25 (14.62%)
	योग :	**21**	**351**	**372**	**331 (88.98%)**	**4 (1.07%)**	**37 (9.95%)**
	कुल योग	**43**	**865**	**908**	**823 (90.64%)**	**5 (0.55%)**	**80 (8.81%)**

तालिका में दी गयी प्रगति के अनुसार चयनित पंचायत समितियों में दिनांक 1.4.05 को 43 कार्य अपूर्ण पाये गये। पंचायत समिति जवाजा एवं भिनाय में 1.4.05 को एक भी कार्य अपूर्ण नहीं थे जबकि उदयपुर जिले की पंचायत समिति सराडा एवं खैरवाड़ा में क्रमशः 10 एवं 11, करौली जिले की पंचायत समिति हिण्डौन में 13 एवं दौसा की पंचायत समिति बांदीकुई में 1 एवं महुआ में 8 कार्य अपूर्ण थे। वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक चयनित पंचायत समितियों में कुल 865 कार्य स्वीकृत हुए थे। उदयपुर की सराडा पंचायत समिति में संदर्भित अवधि में सर्वाधिक 191 कार्य स्वीकृत हुए। दौसा जिले की बांदीकुई पंचायत समिति में संदर्भित अवधि में 64 (सबसे कम) कार्य स्वीकृत हुए। इस प्रकार 1.4.05 के अपूर्ण एवं संदर्भित अवधि में स्वीकृत 865 नवीन कार्य (कुल 908) पंचायत समितियों द्वारा पूर्ण करवाये जाने थे।

2.1.7 पूर्ण/अपूर्ण कार्य :

संदर्भित अवधि 2005–06 से 2007–08 तक में पंचायत समितियों द्वारा कुल 823 (90.64 प्रतिशत) कार्य पूर्ण करवाये गये। शत प्रतिशत कार्य अजमेर जिले की भिनाय पंचायत समिति द्वारा पूर्ण करवाये गये। इसी प्रकार करौली जिले की हिण्डौन पंचायत समिति में 92.7 प्रतिशत, दौसा की महुआ पंचायत समिति में 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण पाये गये। अन्य पंचायत समितियों सपोटरा, सराड़ा एवं जवाजा आदि में भी कार्य पूर्ण का प्रतिशत 80 से 90 तक पाया गया। पंचायत समिति बांदीकुई में सबसे कम 51(78.46 प्रतिशत) कार्य संदर्भित अवधि में पूर्ण हुए। वर्ष 2007–08 के अन्त में 1.4.08 को कुल 80(8.81 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण/चालू ही नहीं की स्थिति में पाये गये। उदयपुर एवं दौसा जिले की खैरवाड़ा एवं बांदीकुई पंचायत समितियों में 1.4.08 को क्रमशः 25 एवं 14 कार्य अपूर्ण पाये गये। इन जिलों की जिला परिषद के योजना हेतु अधिकृत नोडल अधिकारी द्वारा पंचायत समितियों में योजना के तहत् स्वीकृत कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने के लिये जारी दिशा निर्देशों की पालना दृढ़ता से करवानी चाहिये एवं कार्य प्रगति की समीक्षा त्वरित गति से कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने पर ध्यान देना अपेक्षित है।

2.1.8 वित्तीय प्रगति :

योजनान्तर्गत चयनित 8 पंचायत समितियों को संदर्भित अवधि में कुल 1233.68 लाख रूपये जारी किये गये एवं 35.46 लाख रूपये का अवशेष पंचायत समितियों के पास 1.4.05 को उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार कुल 1269.14 लाख रूपये की राशि के विपरीत मार्च, 2008 तक 1200.61 (94.6 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :–

जिलेवार एवं पंचायत समितिवार वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	जिला	दिनांक 1.4.05 को शेष	आवंटन (2005–06 से 2007–08 तक)	कुल फण्ड उपलब्ध	व्यय (2005–06 से 2007–08 तक)	1.4.08 को शेष
1	**अजमेर**					
	जवाजा	0	76.42	76.42	77.2	–0.78
	भिनाय	0	117.80	117.80	117.80	0
	योग :	**0**	**194.22**	**194.22**	**195**	**–0.78**
2	**दौसा**					
	बांदीकुई	0	114.72	114.72	106.39	8.33
	महुआ	4.70	144.06	148.76	141.14	7.62
	योग :	**4.70**	**258.78**	**263.48**	**247.53**	**15.95**
3	**करौली**					
	हिण्डौन	17.47	200.68	218.15	194.35	23.8
	सपोटरा	0	181.41	181.41	169.79	11.62
	योग :	**17.47**	**382.09**	**399.56**	**364.14**	**35.42**
4	**उदयपुर**					
	सराड़ा	9.53	179.34	188.87	183.36	5.51
	खैरवाड़ा	3.76	219.25	223.01	210.58	12.43
	योग :	**13.29**	**398.59**	**411.88**	**393.94**	**17.94**
	कुल योग	**35.46**	**1233.68**	**1269.14**	**1200.61 (94.60%)**	**68.53 (5.40%)**

उपरोक्त तालिकाओं में पंचायत समितियों से प्राप्त वित्तीय/भौतिक सूचनाओं के अनुसार अजमेर जिले की जवाजा एवं भिनाय पंचायत समितियों में संदर्भित अवधि में उपलब्ध शत प्रतिशत से 0.78 लाख रूपये अधिक राशि व्यय की गयी। भिनाय पंचायत समिति के कार्य परिणाम शत प्रतिशत रहे। इस पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत शत प्रतिशत कार्य (91) पूर्ण हुए। जवाजा पंचायत समिति में 0.78 लाख रूपये स्वीकृति से अधिक व्यय होने के पश्चात् भी 1.4.08 को 8 कार्य अपूर्ण पाये गये। कुल उपलब्ध राशि से अधिक व्यय के पश्चात् भी कार्य अपूर्ण रहना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। जिला स्तरीय एजेन्सी को दी गयी सूचनाओं/अपूर्ण कार्यों के कारणों की समीक्षा कर अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिये।

दौसा जिले की बांदीकुई एवं महुआ पंचायत समितियों में क्रमशः 114.72 लाख रूपये के विपरीत 106.39 (92.74 प्रतिशत) एवं 148.76 लाख रूपये के विपरीत 141.14 लाख (00.58 प्रतिशत) रूपये व्यय हुए। 1.4.08 को बांदीकुई से 8.33 लाख रूपये का अवशेष एवं 14 कार्य अपूर्ण पाये गये। अवशेष राशि की मात्रा के अनुपात में अपूर्ण कार्यों की संख्या अधिक प्रतीत होती है। विभाग को ध्यान देकर स्वीकृत कार्य पर यदि कम मात्रा में कार्य अपूर्ण रहा हो तो शीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास करने चाहिए। इसी प्रकार महुआ में 7.62 लाख रूपये की अवशेष एवं 3 कार्य अपूर्ण थे। कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

करौली जिले की चयनित पंचायत समितियाँ हिण्डौन एवं सपोटरा में 1.4.08 को अवशेष राशि अन्य जिलों की पंचायत समितियों की तुलना में अधिक पायी गयी। पंचायत समिति हिण्डौन में 23.8 लाख रूपये की अवशेष राशि एवं 8 कार्य अपूर्ण पाये गये। इसी प्रकार सपोटरा में भी 11.62 लाख रूपये की अवशेष राशि एवं 10 कार्य अपूर्ण पाये गये।

अपूर्ण कार्यों को चिन्हित कर प्राथमिकता से पूर्ण करवाये जाने चाहिये।

उदयपुर जिले की सराडा पंचायत समिति में दिनांक 1.4.08 को 5.51 लाख रूपये का अवशेष एवं 12 कार्य अपूर्ण पाये गये। अवशेष राशि के अनुपात में अपूर्ण कार्यों की संख्या अधिक प्रतीत होती है। अतः यदि बहुत छोटे–छोटे कार्य ही शेष रहे हों तो विभाग को प्राथमिकता से इन्हें पूर्ण करवाना चाहिये। पंचायत समिति खैरवाड़ा में 12.43 लाख रूपये का अवशेष पाया गया एवं 25 कार्य अपूर्ण पाये गये। खैरवाड़ा में अपूर्ण कार्यों की संख्या सर्वाधिक पायी गयी। विभाग को प्राथमिकता से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर जन कल्याण में पूरी योजना के लाभ जनता को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाने का प्रयास करना चाहिये।

2.1.9 चयनित पंचायत समितियों में योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का प्रकार (2005–06 से 2007–08) :

पंचायत सतिति	सी.सी. रोड़		तालाब/ मेडबन्दी		हैण्डपम्प		स्कूल भवन		सामुदायिक/ स्वास्थ्य भवन		बाउण्ड्री वाल		अन्य			
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
जवाजा	10	10	3	3	4	4	2	2	62	62	7	7	3	3	91	91
भिनाय	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	66	58	68	60
बांदीकुई	47	36	0	–	4	4	5	3	1	1	6	6	2	1	65	51
महुआ	60	60	1	1	6	4	7	7	–	–	5	5	21	19	100	96
हिण्डौन	79	76	–	–	1	1	7	7	–	–	6	6	17	11	110	102
सपोटरा	36	26	–	–	–	–	7	7	16	16	1	1	42	42	102	92
सराड़ा	4	4	3	3	90	88	6	6	40	38	6	6	52	40	201	185
खैरवाड़ा	35	35	–	–	05	4	34	30	2	2	6	6	89	69	171	146
योग :	**271**	**247**	**7**	**7**	**111**	**106**	**69**	**63**	**121**	**119**	**37**	**37**	**292**	**243**	**908**	**823**
प्रतिशत :	–	91.44		100		95.50		91.30		98.35		100	–	83.22	–	90.64

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित पंचायत समितियों में सर्वाधिक 271 (29.85) कार्य सी.सी.रोड़ के स्वीकृत हुए। महुआ पंचायत समिति में कुल स्वीकृत 100 कार्यों में से 60 कार्य सी.सी. रोड़ के स्वीकृत हुए। इसी प्रकार हिण्डौन में भी 110 स्वीकृत कार्यों में से 79 कार्य सी सी रोड़ के स्वीकृत हुए। बांदीकुई में 65 स्वीकृत कार्यों में 47 कार्य सी सी रोड के स्वीकृत हुए। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि बांदीकुई, महुआ एवं हिण्डौन मे सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गयी।

वरीयता के क्रम में द्वितीय स्तर पर सामुदायिक/स्वास्थ्य भवनों की 121 (13.33) स्वीकृति रही। जवाजा, सराड़ा एवं सपोटरा में स्वास्थ्य/सामुदायिक भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी। सराड़ा पंचायत समिति में हैण्डपम्प/पाइपलाईन निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गयी। सराड़ा में 201 स्वीकृत कार्यों में 90 कार्य पेयजल के संबंध में स्वीकृत हुए। पेयजल संबंधी कुल स्वीकृत 111 (81.08) कार्यों में 90(81.08) कार्य पंचायत समिति सराड़ा में पाये गये। इसी प्रकार कुल स्वीकृत कार्यों में 69 (9.80) कार्य विद्यालय भवन/कक्ष निर्माण संबंधी स्वीकृत किये गये। विद्यालय भवन संबंधी स्वीकृत इन 69 कार्यों में सर्वाधिक 34 कार्य खैरवाड़ा पंचायत समिति में स्वीकृत हुए। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि योजना के पंचायत समितियों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति, स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य स्वीकृत किये गये।

————

अध्याय तृतीय

सर्वेक्षण परिणाम

3.0 विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक करवाये गये लोक कल्याणकारी कार्यों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने हेतु द्विस्तरीय कार्य प्रणाली का उपयोग किया गया। करवाये गये कार्यों की स्थिति, उपयोग, स्थान का चयन, कार्य पर हुए व्यय, कार्य की आवश्यकता, उपयोग आदि का आंकलन करने हेतु चयनित जिलों की चयनित पंचायत समितियों के चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन मूल्यांकन दल द्वारा करवाया गया। साथ ही कार्यों के उपयोग, आवश्यकता, निर्माण स्तर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्मित कार्य पर मजदूरी करने वाले श्रमिकों, प्रतिकार्य एक लाभार्थी समूह एवं सरकारी/गैर सरकारी वर्ग के संबंधित अधिकारियों/सदस्यों से चर्चा कर अनुसूचियाँ भरी गयी।

अध्ययन हेतु चयनित इकाइयों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला/ पंचायत समिति	भरी गयी अनुसूचियाँ			
		कार्य अनुसूची	श्रमिक अनुसूची	सरकारी/ गैर सरकारी अनुसूची	समूह अनुसूची
1	**अजमेर**				
	1. जवाजा	10	24	4	5
	2. भिनाय	13	30	4	5
2	**दौसा**				
	1. बान्दीकुई	8	24	6	3
	2. महुआ	10	30	6	3
3	**करौली**				
	1. हिण्डोन	11	34	9	3
	2. सपोटरा	9	27	5	3
4	**उदयपुर**				
	1. सराड़ा	10	30	6	4
	2. खैरवाड़ा	10	29	5	2
	योग :	**81**	**228**	**45**	**28**

3.1 उपरोक्तानुसार योजना के संबंध में समीक्षा/विश्लेषण/सर्वेक्षण परिणाम आदि का विश्लेषण उपरोक्त अनुसूचियों में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत अध्याय के प्रथम भाग में चयनित कार्यों की भौतिक स्थिति, प्रकार, आवंटन, व्यय राशि आदि का विवेचन करते हुए द्वितीय भाग में कार्य के उपयोग, लगाये श्रमिक, देय पारिश्रमिक आदि के आधार पर करवाये गये कार्यों के प्रभाव/परिणाम की विवेचना की गयी है। इस प्रकार सर्वेक्षण परिणाम की विवेचना तीन भागों में की गयी है :–

(i) चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन
(ii) चयनित ग्रामों की स्थिति एवं योजना के तहत् स्वीकृत कार्य
(iii) अनुसूचियों/साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचना

चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन

भाग– I

3.2 **चयनित कार्यों का प्रकार** :

योजना के तहत कुल 81 कार्यों का चयन किया गया था। जिसमें सामुदायिक भवन, सड़क निर्माण, कक्ष निर्माण, चारदीवारी निर्माण आदि प्रमुख कार्य पाये गये। चयनित कुल कार्यों की पंचायत समितिवार सूचना निम्नानुसार है।

कार्य अनुसूची– 1

चयनित पंचायत समितिवार करवाये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	जिला	चयनित पंचायत समिति	चयनित कार्यों का प्रकार							
			सामुदायिक भवन	सड़क निर्माण	कक्ष निर्माण	चारदीवारी	विश्राम गृह	शौचालय	अन्य	योग
1	अजमेर	भिनाय	6	2	1	–	1	–	3	13
		जवाजा	3	–	–	–	3	–	4	10
2	दौसा	बांदीकुई	3	4	1	–	–	–	–	8
		महुआ	1	4	2	2	–	–	1	10

.....निरन्तर

क्र. सं.	जिला	चयनित पंचायत समिति	चयनित कार्यों का प्रकार							
			सामुदायिक भवन	सड़क निर्माण	कक्ष निर्माण	चारदीवारी	विश्राम गृह	शौचालय	अन्य	योग
3	करौली	हिण्डौन	—	7	—	2	—	—	2	11
		सपोटरा	3	—	5	1	—	—	—	9
4	उदयपुर	खैरवाड़ा	3	1	2	1	—	2	1	10
		सराड़ा	1	5	1	1	—	1	1	10
			20	**23**	**12**	**7**	**4**	**3**	**12**	**81**

(अन्य– खरन्जा, बोरिंग, खेली निर्माण, डेयरी, तलैया, शैड, प्याऊ आदि)

उपरोक्त सूचना से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि योजना के तहत सर्वाधिक प्राथमिकता सड़क निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण के हुए हैं। द्वितीय स्तर पर कक्ष निर्माण, चारदीवारी निर्माण एवं अन्य कार्य करवाये गये हैं। कार्यों की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सर्वप्रथम चयनित कार्यों की कार्यवार विवेचना की जा रही है :–

(अ) **सड़क निर्माण** :

योजना के तहत 23 सड़क निर्माण संबंधी कार्य करवाये गये। सड़क निर्माण संबंधी स्वीकृत कार्य इसी योजना के तहत् स्वीकृत किये गये थे। कोई भी कार्य पूर्व में अन्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं था। सड़क निर्माण संबंधी कार्यों के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार पाये गये।

(i) योजना के तहत स्वीकृत 23 कार्यों में 2 कार्य अजमेर, 8 दौसा, 7 करौली एवं 6 कार्य उदयपुर जिले में करवाये गये थे।

(ii) स्वीकृत 23 कार्यों में से 12 कार्य वर्ष 2005–06, 9 कार्य वर्ष 2006–07 में एवं 2 कार्य 2007–08 में स्वीकृत हुए थे।

(iii) स्वीकृत कार्यों के विपरीत 11 कार्य उसी वर्ष 2005–06 में, 6 कार्य वर्ष 2006–07 एवं 6 कार्य 2007–08 में प्रारम्भ किया गया। अर्थात 2006–07 में 9 स्वीकृत कार्यों में से 6 कार्य ही प्रारम्भ हुए एवं शेष कार्य 2007–08 में प्रारम्भ हुए।

(iv) वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ 11 में से 11 कार्य इसी वर्ष पूर्ण हुए। वर्ष 2006–07 में 6 में से 5 एवं वर्ष 2007–08 में बकाया समस्त 7 कार्य पूर्ण हुए। कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने के अन्तर को निम्नानुसार भी देखा जा सकता है।

वर्षवार सड़क निर्माण कार्य विवरण

कार्यों की स्थिति	2005–06	2006–07	2006–07	कुल
स्वीकृत कार्य	12	9	2	23
कार्य प्रारम्भ	11	6	6	23
कार्य पूर्ण	11	5	7	23

(v) स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल 40.72 लाख रूपये योजना के तहत एवं 0.83 लाख रूपये अन्य योजनाओं से स्वीकृत हुए। अर्थात कुल 41.55 लाख रूपये स्वीकृत हुए। स्वीकृत राशि में 37.49 लाख रूपये (90.23 प्रतिशत) राशि व्यय हुई। शेष बांदीकुई में चयनित 23 में से 22 कार्यों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गया, शेष एक करवाये गये कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी नहीं होने से अन्तिम व्यय की सूचना एकजाही नहीं हुई थी।

(vi) व्यय की गयी कुल राशि 37.49 लाख रूपये में 9.88 लाख रूपये श्रम एवं 27.61 लाख रूपये सामग्री पर व्यय हुए।

(vii) मूल्यांकन दल की सर्वेक्षण टीम के अवलोकन एवं समूह से हुई चर्चा के अनुसार 23 में से 21 कार्यों का चयन सही था, लेकिन करौली जिले की पंचायत समिति हिण्डौन की ग्राम पंचायत सोमला के ग्राम चम्पावली में सी.सी. रोड निर्माण का कार्य सार्वजनिक उपयोग के लिये न होकर निजी उपयोग हेतु करवाया गया बताया गया। इसी प्रकार हिण्डौन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काचरोली में भी निर्मित सड़क पर अतिक्रमण हुआ पाया गया।

(viii) चयनित 23 सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल 807 दिवस तक कार्य हुआ अर्थात लगभग 40 दिवस तक का कार्य औसतन प्रत्येक सड़क निर्माण हेतु करवाया गया एवं कुल 915 श्रमिक नियोजित किये गये अर्थात प्रत्येक कार्य हेतु औसतन 40 श्रमिक नियोजित हुए। संक्षेप में प्रत्येक कार्य हेतु औसतन 40 श्रमिकों ने लगभग 40 दिवस तक कार्य किया।

(ix) सड़क निर्माण हेतु लगाये गये 915 श्रमिकों में 413 महिलाएँ एवं 502 पुरूष थे। अर्थात महिलाओं को भी लगभग समान अनुपात में कार्य दिया गया था।

(x) भौतिक सत्यापन के समय प्राप्त सूचनानुसार 23 में से 17 सड़कों का कार्य सन्तोषप्रद पाया गया। 6 सड़कों पर हुए निर्माण कार्य में उपयोग में ली गयी सामग्री, चयनित ग्राम के समूहों से हुई चर्चानुसार, सम्मिश्रण निर्धारित माप के अनुसार नहीं होने से सड़कों में टूट–फूट, गढ़ढे दृष्टिगत हुए।

(xi) नियमित 915 श्रमिकों में 782 अनु. जाति, जनजाति एवं 133 अन्य जातियों के थे। करौली एवं उदयपुर जिले में करवाये गये कार्यों में शत प्रतिशत नियोजित श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति के थे, जबकि दौसा एवं अजमेर में सामान्य जाति के मजदूरों को भी नियोजित किया गया था।

(xii) नियोजित 915 श्रमिकों में से 449 बी.पी.एल. व 466 ए.पी.एल. श्रेणी के नागरिक थे। अर्थात शत प्रतिशत नियोजित श्रमिक ए.पी.एल./बी.पी.एल. वर्ग के थे।

(xiii) निर्माण कार्य हेतु 877 श्रमिक ग्राम में स्थानीय निवासी थे जबकि दौसा जिले में 34 एवं अजमेर जिले में 4 श्रमिक ग्राम के बाहर के निवासी थे। अर्थात चयनित कार्यों से स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता से रोजगार दिया गया।

(xiv) चयनित 23 में से 22 कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को एम.बी. के अनुसार 73 रूपये प्रति दिवस मजदूरी दी गयी एवं कारीगरों को न्यूनतम निर्धारित 140 रूपये की दर से मजदूरी दी गयी। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा एवं सराड़ा पंचायत समितियों में नियोजित श्रमिकों को नकद के साथ ही 10 किलो गेहूँ भी श्रम के बदले में दिया गया।

(xv) समस्त कार्यों पर श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान पाक्षिक किया गया।

(xvi) सड़क निर्माण कार्य में मुख्यतः स्वीकृत राशि देर से प्राप्त होना, सामग्री का सम्मिश्रण का अनुपात ठीक नहीं होना, सड़कों पर अतिक्रमण, निजी भूमि–भवन तक सड़क निर्माण एवं सड़कों के रखरखाव की कमी मुख्य कठिनाईयाँ पायी गयी। विभाग को सार्वजनिक हित के कार्यों की स्वीकृति, समय पर राशि जारी करने, स्वीकृत राशि का एकमुश्त भुगतान करने एवं निर्माण के पश्चात् रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।

(ब) **सामुदायिक भवन** :

एम.एल.ए. स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के अध्ययन हेतु चयनित 81 कार्यों में 20 कार्य सामुदायिक भवन निर्माण संबंधी पाये गये। सामुदायिक भवन निर्माण संबंधी मुख्य बिन्दु निम्नानुसार पाये गये :–

(i) चयनित 20 कार्यों में 5 कार्य वर्ष 2005–06 में, 10 कार्य 2006–07 में एवं 5 कार्य 2007–08 में स्वीकृत हुए थे। स्वीकृति के विपरीत 2005–06 में 2 कार्य प्रारम्भ हुए, 2006–07 में 10 एवं 2007–08 में 8 कार्य प्रारम्भ हुए। वर्ष 2005–06 में स्वीकृत 2 कार्यों में 1 कार्य, 2006–07 में 9 कार्य एवं 2007–08 में 7 कार्य पूर्ण हुए। 3 स्थानों पर कार्य प्रगति पर पाया गया, जैसा कि निम्नानुसार भी स्पष्ट होता है :–

वर्षवार सामुदायिक केन्द्र निर्माण की स्थिति

कार्यों की स्थिति	2005–06	2006–07	2006–07	कुल
स्वीकृत कार्य	5	10	5	20
कार्य प्रारम्भ	2	10	8	20
कार्य पूर्ण	1	09	7	17 (3 स्थानों पर कार्य शेष था)

(ii) चयनित 20 में से 17 कार्य योजना के तहत स्वीकृत हुए थे। उदयपुर की खैरवाड़ा पंचायत समिति में 3 कार्यों में एम.पी. योजना के तहत भी राशि स्वीकृत हुई थी। इससे स्थानीय आवश्यकतानुसार सामुदायिक भवनों की संख्या में वृद्धि संभव हो सकी है।

(iii) योजनान्तर्गत 20 कार्यों के लिए 41.87 लाख रूपये एवं खैरवाड़ा में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के साथ ही एम.पी. योजना के तहत् भी 7.86 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। इस प्रकार सामुदायिक केन्द्रों के लिये कुल 49. 73 लाख रूपये उपलब्ध हुए।

(iv) 49.73 लाख रूपये की स्वीकृति के विपरीत 40.74 लाख (83.76 प्रतिशत) रूपये व्यय हुए।

(v) चयनित 20 में से 17 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे। दौसा जिले की बांदीकुई पंचायत समिति के चयनित तीनों कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुए थे। उपयोगिता प्रमाण–पत्र में देरी का कारण निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होना एवं कार्य पूर्ण नहीं होना पाया गया। बांदीकुई पंचायत समिति के बसवा ग्राम में स्वीकृत 3 सामुदायिक केन्द्रों में एक की खिड़कियों की जाली का कार्य शेष होने, एक में प्लास्टर एवं फर्श का कार्य अपूर्ण रहने एवं एक पर वर्षा के कारण निर्माण कार्य रोक देने से कार्य अपूर्ण थे एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुए थे।

(vi) अध्ययन दल के सर्वेक्षण में चयनित 20 में से 19 सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु स्थान का चयन उपयुक्त पाया गया। करौली जिले की सपोटरा पंचायत समिति के ग्राम सूकना में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण पहाड़ी पर हुआ था, जिससे आने–जाने में असुविधा बतायी गयी। अध्ययन दल के मतानुसार भी स्थानीय निवासियों द्वारा अभिव्यक्त कठिनाई सही पायी गयी।

(vii) प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2005–06 में कार्य पूर्ण होने की गति धीमी रही। वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में तत्परता से कार्य पूर्ण करवाये गये।

(viii) सर्वेक्षण के समय चयनित 20 सामुदायिक केन्द्रों में से 15 केन्द्रों की स्थिति अच्छी पायी गयी। 5 केन्द्रों में निर्माण कार्य में कमी, खिडकी नहीं लगना, गेट नहीं लगना आदि पाया गया। चयनित 20 सामुदायिक केन्द्रों की सर्वेक्षण के समय भौतिक स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

जिला अजमेर– (पंचायत समिति, भिनाय)

पंचायत समिति भिनाय में 6 सामुदायिक केन्द्र बनाये गये थे।

क्र.सं.	ग्राम	ग्राम	निर्माण वर्ष	सवेक्षण के समय स्थिति

	पंचायत			
i	कराटी	गोपालपुरा	2005–06	सर्वेक्षण के समय भवन का निर्माण कार्य सन्तोषप्रद पाया गया। आर.सी.सी. की छत एवं 38′ X 25′ का हॉल बनाया हुआ था।
ii	कराटी	गोपालपुरा	2006–07	खिडकी दरवाजे नहीं लगे हुए थे। निर्माण कार्य सन्तोषप्रद। आर.सी.सी. की छत भवन का नाप 30′ X 22′ खिड़की दरवाजे नहीं।
iii	भिनाय	भिनाय	2006–07	निर्माण कार्य सन्तोषप्रद– भवन 60′ X 40′ भवन के बाहर चबूतरा, कार्य का उपयोग हो रहा था।
iv	भिनाय	भिनाय	2006–07	भवन निर्माण सन्तोषप्रद, भवन का उपयोग धार्मिक कार्यों हेतु, खिड़की दरवाजे नहीं।
v	भिनाय	भिनाय	2007–08	मन्दिर के पास निर्माण, 30′ X 20′ भवन के सामने बरामदा, निर्माण कार्य सन्तोषप्रद, कार्यों का उपयोग।
vi	भिनाय	भिनाय	2007–08	भवन सन्तोषप्रद 20′ X 18′ रंग किया हुआ, चबूतरा बना हुआ, खिड़की–दरवाजे नहीं, रखरखाव में कमी।

(पंचायत समिति, जवाजा)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	निर्माण वर्ष	सवेक्षण के समय स्थिति
i	सूरजपुरा	बाड़ियामारू	2006–07	भवन निर्माण सन्तोषप्रद, पटिट्यों की छत, फर्श कोटा स्टोन, खिड़की दरवाजे लगे हुए, बरामदा बना हुआ, सफाई एवं रखरखाव की कमी।
ii	सूरजपुरा	धनापड़ा का बाड़िया	2006–07	कार्य सन्तोषप्रद, हॉल, बरामदा, पटिट्यों की छत, खिड़की दरवाजे लगे हुए, कार्य का उपयोग।
iii	किशनपुरा	किशनपुरा	2007–08	वैष्णव देवी मन्दिर के पास 2 कमरे, हॉल, स्नानघर एवं शौचालय निर्माण कार्य उत्तम क्वालिटी का, कार्य का पूर्ण उपयोग, रखरखाव अच्छा।

जिला दौसा–

(पंचायत समिति, बांदीकुई)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	निर्माण वर्ष	सवेक्षण के समय स्थिति
i	बसवा	बसवा	2006–07	निर्माण कार्य पूर्ण। खिड़की, दरवाजे, घिसाई कार्य शेष।
ii	बसवा	बसवा	2007–08	निर्माण कार्य वर्षा के कारण रोका हुआ।
iii	बसवा	बसवा	2007–08	फर्श एवं प्लास्टर का कार्य शेष।

(पंचायत समिति, महुआ)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	निर्माण वर्ष	सवेक्षण के समय स्थिति
i	बालाहेड़ी	बालाहेड़ी	2006–07	सन्तोषप्रद, कार्य का उपयोग ग्राम पंचायत के रूप में।

जिला करौली–

(पंचायत समिति, सपोटरा)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	निर्माण वर्ष	सवेक्षण के समय स्थिति
i	सपोटरा	सपोटरा	2005–06	कार्य पूर्ण, निर्माण कार्य सन्तोषप्रद, कार्य का उपयोग।
ii	सपोटरा	सपोटरा	2005–06	कार्य पूर्ण, सन्तोषप्रद, कार्य का उपयोग सार्वजनिक कार्य हेतु।
iii	एकट	एकट	2007–08	कार्य सन्तोषप्रद एवं पूर्ण कार्य का उपयोग स्कूल भवन हेतु।

जिला उदयपुर–

(पंचायत समिति, खैरवाड़ा)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	निर्माण वर्ष	सवेक्षण के समय स्थिति
i	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	2006–07	कार्य सन्तोषप्रद एवं सर्वे दिनांक को उपयोग
ii	ऋषभदेव	ऋषभदेव	2007–08	निर्माण कार्य प्रगति पर–
iii	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	2006–07	कार्य पूर्ण– उपयोग

(पंचायत समिति, सराड़ा)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	निर्माण वर्ष	सवेक्षण के समय स्थिति
i	खरवा	खरवा	2006–07	कार्य सन्तोषप्रद एवं उपयोग

दी गयी सूची के अनुसार सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य सभी स्थानों पर सन्तोषप्रद पाया गया था। कुछ केन्द्रों में खिड़की दरवाजे लगवाने का कार्य शेष था। कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के प्रयास किये जाने चाहिये। पूर्ण सभी भवनों का उपयोग हो रहा था। चयनित 20 में से 1 सामुदायिक केन्द्र (जिला करौली पं.स. सपोटरा, ग्राम सूकना) का स्थान चयन उपयुक्त नहीं बताया गया। यह केन्द्र पहाड़ी पर होने से उपयोग में दिक्कत पायी गयी। संक्षेप में योजना के तहत् निर्मित सामुदायिक केन्द्र का कार्य आवश्यकता के अनुरूप एवं उपयोगी पाये गये।

(viii) चयनित सामुदायिक भवनों का निर्माण कुल 1248 कार्य दिवस में करवाया गया है। औसतन प्रति सामुदायिक केन्द्र 62 दिवस की निर्माण अवधि पायी गयी। निर्माण हेतु कुल 488 श्रमिकों का नियोजन किया गया। प्रति केन्द्र औसतन 24 श्रमिकों ने 62 दिवस तक कार्य किया था।

(ix) नियोजित 488 में से 195 महिलाएँ एवं 293 पुरूष थे। भवन निर्माण में महिलाओं की तुलना में पुरूषों के नियोजन की वरीयता पायी गई। नियोजित 488 श्रमिकों में 235 श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं 253 अन्य जाति के थे। अर्थात केन्द्र निर्माण कार्य हेतु सभी जातियों के ए.पी.एल./बी.पी.एल. श्रेणी के सदस्यों का श्रम हेतु नियोजन किया गया।

(x) केन्द्र निर्माण हेतु नियोजित श्रमिकों में 404 स्थानीय एवं 84 गांव के बाहर के श्रमिक थे। करौली एवं उदयपुर में शत प्रतिशत स्थानीय एवं अजमेर एवं दौसा में गांव के बाहर के श्रमिकों का भी नियोजन किया गया।

(xi) नियोजित श्रमिकों को टास्क के अनुसार 75 रूपये प्रति कार्यदिवस मजदूरी दी गयी। मजदूरी का भुगतान पाक्षिक किया गया। पंचायत समिति जवाजा, खैरवाड़ा एवं सराड़ा में मजदूरी के भुगतान के रूप में नकद के साथ ही सामग्री के रूप में भी किया गया। भुगतान में 25 से 50 रूपये तक नकद एवं शेष राशि का गेहूँ दिया गया।

(xii) भौतिक सत्यापन के समय एवं समूह चर्चा के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्य में विलम्ब का कारण प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति देर से आना, निर्माण के पश्चात् रखरखाव की व्यवस्था नहीं होना स्थान चयन में राजनैतिक प्रभाव का उपयोग अधिक होना एवं स्वीकृत राशि एकमुश्त प्राप्त नहीं होना बताया गया। विभाग को उक्त कठिनाईयों को दूर कर समय पर स्वीकृतियाँ जारी करने, एकमुश्त राशि जारी करने एवं कार्य के चयन में पूरी सतर्कता रखते हुए करवाने के प्रयास करने चाहिये।

(स) **कक्ष निर्माण** :

योजना के तहत चयनित कार्यों में 12 कक्षों/कमरों का निर्माण करवाया गया। जिसमें 1 अजमेर की जवाजा पंचायत समिति में, दौसा में 3 (1 पं.स. बांदीकुई, 2 महुआ), करौली 5 (पं. स. सपोटरा) एवं उदयपुर में 3 (2 खैरवाड़ा एवं 1 सराड़ा) में निर्मित करवाये गये।

(i) कमरा निर्माण पर इस योजना के तहत् 22.00 लाख रूपये एवं 0.20 लाख रूपये टी.एफ.सी. योजना में स्वीकृत हुए।

(ii) कुल 22.20 लाख रूपये की स्वीकृति के विपरीत 19.65 (88.51 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए। जिसमें 5.45 लाख श्रम पर एवं 14.20 लाख रूपये सामग्री पर व्यय हुए।

(iii) स्वीकृत 12 कार्यों में से 6 कार्य वर्ष 2005–06 में, 1 कार्य 2006–07 में एवं 5 कार्य 2007–08 में स्वीकृत हुए।

(iv) स्वीकृति के विपरीत 6 कार्य 2005–06 में, 2 कार्य 2006–07 में एवं 4 कार्य 2007–08 में पूर्ण हुए।

चौक/कमरों का निर्माण निम्नानुसार करवाया गया।

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति		ग्राम पंचायत	ग्राम	वर्ष	कार्य की गुणवत्ता	उपयोग/आवश्यकता
1	अजमेर	1	भिनाय	कराटी	खेड़ी	2005–06	अच्छी	सार्वजनिक कार्य के उपयोग। स्कूल में कक्ष निर्माण।
2	दौसा	2	बांदीकुई	बसवा	बसवा	2006–07	अच्छी	सीनियर सैकण्डरी स्कूल में चौक पक्का करवाया गया। कार्य का उपयोग स्कूल में कमरे का निर्माण, छात्रों के बैठने के लिए उपयोगी।
		3	महुआ	कोट	कोट	2007–08	अच्छी	
		4	महुआ	कोट	कोट	2006–07	अच्छा	स्कूल में कमरा निर्माण, कमरे का उपयोग
3	करौली	1	सपोटरा	बूकना	बूकना	2007–08	सर्वे तिथि को कार्य प्रगति पर	कार्य अपूर्ण
		2	सपोटरा	बूकना	बूकना	2007–08	कार्य प्रगति पर	स्कूल में कमरे व बरामदा निर्माण कार्य
		3	सपोटरा	सपोटरा	सपोटरा	2005–06	अच्छी गुणवत्ता पूर्ण	रंगरोगन में कार्य बकाया
		4	सपोटरा	सपोटरा	सपोटरा	2005–06	कार्य पूर्ण अच्छी गुणवत्ता	पंचायत समिति में दो कमरों का निर्माण कार्य का उपयोग

.....निरन्तर

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति		ग्राम पंचायत	ग्राम	वर्ष	कार्य की गुणवत्ता	उपयोग/आवश्यकता
		5	सपोटरा	एकट	एकट	2007–08	पूर्ण निर्माण स्तर सन्तोषप्रद नहीं	माध्यमिक विद्यालय में 2 कमरों का निर्माण/कार्य का उपयोग (राजकीय विद्यालय में एक हॉल/बरामदा उपयोग हो रहा था)
4	उदयपुर	1	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	2005–06	कक्ष मरम्मत कार्य/ कार्य पूर्ण कार्य सन्तोषप्रद	विद्यालय में कमरे की छत की मरम्मत का कार्य पूर्ण
		2	खैरवाड़ा	ऋषभदेव	ऋषभदेव	2005–06	सन्तोषप्रद/ पूर्ण	बालिका विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण उपयोग
		3	सराड़ा	परसांद	परसांद	2007–08	पूर्ण/ सन्तोषप्रद	माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण

(v) सर्वेक्षण के समय प्राप्त सूचनानुसार 12 में से 10 कमरे पूर्व में चल रहे विद्यालय में निर्मित करवाये गये थे। जिसकी स्कूल में आवश्यकता भी थी। 10 कार्य पूर्ण हो गये थे। 2 कार्य प्रगति पर चल रहे थे। कार्य की गुणवत्ता ठीक पायी गयी थी एवं निर्मित कक्षों का उपयोग हो रहा था। 12 कार्यों में से 10 के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवा दिये गये थे, 2 कार्य प्रगति पर थे जिनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र सर्वे तिथि तक प्रेषित नहीं किये गये थे। दोनों निर्माण 2007–08 में प्रारम्भ किये गये थे।

(vi) निर्मित 12 में से 9 कार्यों की गुणवत्ता अच्छी पायी गयी। 2 निर्माण कार्य अपूर्ण थे एवं 1 कार्य (सपोटरा में एकट ग्राम में करवाया कार्य) की निर्माण की स्थिति का अवलोकन एवं समूह की राय के अनुसार सन्तोषप्रद नहीं बताया गयी।

(vii) 12 कार्यों के लिए 553 दिवस का रोजगार सृजित हुआ था एवं कुल 438 श्रमिकों ने कार्य किया अर्थात प्रति कार्य लगभग 46 दिवस की अवधि निर्माण हेतु लगी एवं लगभग 35 श्रमिकों ने औसतन प्रत्येक निर्माण कार्य पर कार्य किया।

(viii) नियोजित 438 श्रमिकों में 130 महिलाएँ एवं 308 पुरूष थे एवं 106 व्यक्ति बी.पी.एल. एवं 332 व्यक्ति ए.पी.एल. श्रेणी के थे।

(ix) निर्माण कार्य में नियोजित शत प्रतिशत श्रमिकों को नकद भुगतान (न्यूनतम 75 रूपये एवं कारीगर 140 रूपये प्रतिदिन का) किया गया।

संक्षेप में विद्यालयों में कक्षों का निर्माण सन्तोषप्रद हुआ। कार्य का उपयोग हो रहा था एवं कक्ष निर्माण से बच्चों को बैठने की सुविधा हुई।

(द) **चारदीवारी** :

चयनित 81 कार्यों में 7 स्थानों पर चारदीवारी का निर्माण करवाया गया था। चारदीवारी निर्माण के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार पाये गये :–

(i) 7 चारदीवारी निर्माण में 2 स्कूल भवन, 1 श्मशान भूमि पर, 1 आयुर्वेदिक औषधालय भवन, 1 चबूतरे के पास, 2 तालाब के पास चारदीवारी बनायी गयी।

(ii) चारदीवारी निर्माण हेतु कुल 12.50 लाख रूपये स्वीकृत हुये जिसमें 12.02 लाख इसी योजना के तहत् एवं 0.48 लाख रूपये अकाल राहत योजना के तहत् स्वीकृत हुए थे।

(iii) 12.50 लाख रूपये की स्वीकृति के विपरीत 11.80 लाख रूपये व्यय हुए, 11.80 लाख रूपये व्यय में 3.31 लाख रूपये श्रम पर एवं 7.59 लाख रूपये सामग्री पर व्यय हुए।

(iv) स्वीकृत 7 कार्यों में से 6 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे। सपोटरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में स्वीकृत माध्यमिक शिक्षा विद्यालय की चारदीवारी का कार्य सर्वे तिथि को प्रगति पर था। इस कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सर्वे तिथि तकजारी नहीं हुआ था। यह कार्य 1.10.07 को प्रारम्भ करवाया गया था।

(v) चारदीवारी के चयनित 7 कार्यों में से एक कार्य 2005–06, 3 कार्य 2007–08 में स्वीकृत हुए थे। स्वीकृति के विपरीत एक कार्य 2005–06 में, 2 कार्य 2006–07, 3 कार्य 2007–08 एवं 1 कार्य 2008–09 से प्रगति पर था।

(vi) सर्वे के समय 5 स्थानों पर चारदीवारी निर्माण का कार्य सन्तोषप्रद पाया गया। उदयपुर की सराड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खरबर में सन्तोषप्रद नहीं पाया गया एवं करौली की सपोटरा पंचायत समिति के ग्राम बूकना में चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया।

(vii) सर्वे के समय 7 में से 6 स्थानों पर चारदीवारी निर्माण से भवन की सुरक्षा होना पाया गया। चारदीवारी निर्माण से भवन की सुरक्षा होने के साथ ही आवारा पशुओं के अहाते में प्रवेश पर भी रोक लगी बतलायी गई।

(viii) चारदीवारी निर्माण पर कुल 334 श्रमिकों ने 276 मानव दिवस तक कार्य किया, अर्थात प्रत्येक चारदीवार निर्माण में लगभग 40 दिवस तक निर्माण कार्य हुआ एवं लगभग 48 श्रमिकों ने प्रत्येक निर्माण कार्य पर कार्य किया।

(ix) चारदीवारी निर्माण हेत नियोजित 334 श्रमिकों में 179 अनु. जाति के, 151 अनु. जनजाति एवं 4 श्रमिक अन्य जातियों के थे। अर्थात चारदीवारी निर्माण का कार्य अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों द्वारा किया गया। नियमित 334 श्रमिकों में 88 महिलाएँ एवं 246 पुरूष पाये गये।

(x) नियमित शत प्रतिशत श्रमिक स्थानीय निवासी थे।

(xi) चारदीवारी निर्माण में करौली एवं दौसा जिले में चयनित कार्यों में मजदूरी का भुगतान नकद एवं टास्क के अनुसार देना पाया गया। उदयपुर जिले के स्वीकृत 2 कार्यों में नकद एवं अनाज के रूप में मजदूरी का भुगतान किया गया।

(xii) चारदीवारी निर्माण के बाद अतिक्रमण, चारदीवारी तोड देना आदि मुख्य कठिनाईयाँ पायी गयी।

(क) **खरन्जा/फर्श निर्माण** :
चयनित 81 कार्यों में 5 कार्य फर्श निर्माण/खरन्जा डलवाने के करवाये गये।

(i) चयनित 5 खरन्जा निर्माण के कार्यों में 3 कार्य अजमेर की जवाजा पंचायत समिति एवं 2 कार्य करौली जिले की हिण्डौन पंचायत समिति में करवाये गये।

(ii) चयनित 5 में 1 फर्श निर्माण कार्य के एवं 4 खरन्जा निर्माण के कार्य करवाये गये।

(iii) खरन्जा/फर्श निर्माण पर 9.50 लाख रूपये स्वीकृत हुए एवं 10.48 लाख रूपये व्यय हुए। शेष राशि अन्य योजना से व्यय की गयी।

(iv) चयनित 5 कार्यों में 2 कार्य 2005–06 में एवं 3 कार्य 2006–07 में स्वीकृत हुए। स्वीकृति के विपरीत 2 कार्य 2005–06 एवं 3 कार्य 2007–08 में पूर्ण हुए।

(v) चयनित 5 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे।

(vi) सर्वे तिथि को 5 में से 4 कार्य सन्तोषप्रद पाये गये जबकि अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति की किशनपुरा ग्राम पंचायत में पुलिया पर खरन्जा निर्माण का कार्य यद्यपि रिकॉर्ड अनुसार पूर्ण था लेकिन सर्वे तिथी को कार्य अपूर्ण पाया गया। चयनित 5 में से 2 कार्यों के निर्माण पर प्रथम दृष्टि में अच्छी एवं 3 की साधारण पायी गयी।

(vii) निर्माण कार्य पर 282 श्रमिक नियोजित किये गये एवं 184 दिवस कार्य चला अर्थात प्रति कार्य 56 श्रमिकों ने लगभग 37 दिवस तक कार्य किया।

(viii) नियोजित श्रमिकों में 97 अनुसूचित जाति एवं 185 अन्य जाति के श्रमिक थे। अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति में 200 नियोजित श्रमिकों में से 15 एवं करौली जिले की हिण्डौन पंचायत समिति में 82 नियोजित श्रमिकों में 82 ही अनुसूचित जाति के थे। अर्थात अजमेर में अन्य एवं हिण्डौन में अनु. जाति के श्रमिकों का बाहुल्य पाया गया।

(ix) नियोजित 282 श्रमिकों में 103 महिलाएँ एवं 179 पुरूष थे। जवाजा पंचायत समिति में 200 में से 93 महिलाएँ एवं हिण्डौन में 10 महिलाएँ थी। अजमेर में महिला श्रमिकों का नियोजन अधिक पाया गया।

(x) अजमेर में 30 श्रमिक गांव से अन्य स्थानों के भी नियोजित किये गये।

(xi) समस्त फर्श/खरन्जा निर्माण कार्य पर टास्क के अनुसार 75/– रूपये प्रति दिवस मजदूरी नकद दी गयी।

(ख) **विश्राम गृह** :

चयनित 81 कार्यों में अजमेर जिले की भिनाय पंचायत समिति में 1 एवं जवाजा पंचायत समिति में 3 विश्राम गृह निर्माण करवाये गये।

(i) चयनित 4 विश्राम गृह में 1 विश्राम गृह तहसील भवन के पास, 1 बस स्टेण्ड के पास एवं 2 मन्दिर के पास बनाये गये।

(ii) विश्राम गृह निर्माण हेतु योजना के तहत् 7.80 लाख रूपये स्वीकृत हुए एवं 7.70 लाख रूपये व्यय हुए।

(iii) चयनित 4 विश्राम गृहों में 1 विश्राम गृह 2006–07 में एवं 3 विश्राम गृह 2007–08 में पूर्ण हुए।

(iv) सर्वे तिथि को सभी कार्य पूर्ण पाये गये एवं 4 ही कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किये पाये गये।

(v) विश्राम गृह निर्माण के कार्यों हेतु स्थान का चयन उपयुक्त पाया गया।

(vi) सर्वे तिथि को निर्माण कार्य उपयोग लेने योग्य एवं सन्तोषप्रद स्थिति में पाये गये। कार्यों के निर्माण का स्तर अवलोकन के आधार पर अच्छा पाया गया।

(vii) निर्माण कार्य हेतु 143 श्रमिकों ने 324 दिवस तक कार्य किया था अर्थात प्रति कार्य औसतन लगभग 35 श्रमिकों ने 83 दिवस तक मजदूरी की थी।

(viii) निर्माण कार्य हेतु नियोजित 143 श्रमिकों में 11 अनु. जाति/जनजाति एवं 132 अन्य जाति के थे अर्थात अजमेर जिले में नियोजित श्रमिकों में अन्य जाति के श्रमिकों का बाहुल्य पाया गया। नियोजित श्रमिकों में 70 महिलाएँ एवं 73 पुरूष थे, अर्थात अजमेर महिला श्रमिकों की उपलब्धता प्रचुर पायी गयी। 143 श्रमिकों में 11 श्रमिक स्थानीय नहीं पाये गये।

(ix) नियोजित सभी श्रमिकों को टास्क के अनुसार 75/– रूपये अथवा उससे अधिक मजदूरी का भुगतान किया गया। भिनाय में मजदूरी के साथ अनाज के रूप में भी भुगतान किया गया।

(x) सभी विश्राम गृहों का सर्वे तिथि को उपयोग हो रहा था एवं कार्य सन्तोषप्रद पाया गया।

(ग) **शौचालय** :

चयनित 81 कार्यों में 3 कार्य शौचालय निर्माण के चयनित हुए थे, जिनमें उदयपुर के खैरवाड़ा पंचायत समिति में 2 एवं सराड़ा में 1 शौचालय का निर्माण करवाया गया।

(i) खैरवाड़ा में 1 शौचालय किले में, ऋषभदेव में 1 शौचालय, माध्यमिक विद्यालय में 1 एवं सराड़ा में शौचालय आयुर्वेद भवन में निर्मित करवाया गया।

(ii) शौचालय निर्माण हेतु 1.29 लाख रूपये स्वीकृत हुए एवं 1.28 लाख रूपये व्यय हुए।

(iii) तीनों कार्य पूर्ण पाये गये एवं तीनों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे।

(iv) तीनो कार्यों का चयन सही स्थान पर पाया गया एवं कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य स्वीकृत किया गया।

(v) शौचालय निर्माण हेतु 46 श्रमिकों ने 63 दिवस तक कार्य किया अर्थात प्रति शौचालय लगभग 15 श्रमिकों ने 21 दिवस कार्य किया।

(vi) नियोजित शत प्रतिशत श्रमिक अनु. जाति के थे एवं इनमें 32 महिलाओं का नियोजन किया गया।

(vii) चयनित तीनों शौचालय निर्माण हेतु नियोजित श्रमिकों को टास्क के अनुसार न्यूनतम मजदूरी 75 रूपये अथवा अधिक का भुगतान किया गया। 1 स्थान पर मजदूरी के रूप में नकद के साथ खाद्यान्न के रूप में भी मजदूरी दी गयी।

(viii) चयनित तीनों शौचालयों का निर्माण कार्य सन्तोषप्रद पाया गया। शौचालय निर्माण में जन सुविधाओं में वृद्धि बतायी गयी। शौचालयों का उपयोग होना पाया गया।

(घ) **अन्य (बोरिंग, खैली, डेयरी, कुआ, तलैया, शैड एवं प्याऊ निर्माण)** :

चयनित उपरोक्त कार्यों के साथ ही योजना के तहत बोरिंग, खैली, डेयरी, कुआ, तलैया, शैड एवं प्याऊ निर्माण कार्य भी करवाये गये थे। अजमेर जिले की भिनाय में 3 कार्य, जवाजा में 1, दौसा जिले के महुआ में 1 एवं उदयपुर के खैरवाड़ा एवं सराड़ा पंचायत समिति में 1–1 कार्य करवाया गया।

(i) इन चयनित कार्यों में 1 बोरिंग, 1 खैली, 1 डेयरी, 1 कुआं निर्माण, 1 तलैया, 1 शैड एवं 1 प्याऊ निर्माण का कार्य पाया गया।

(ii) इन 7 कार्यों पर 7.90 लाख रूपये स्वीकृत हुए एवं 7.92 लाख रूपये व्यय हुए।

(iii) सभी कार्यों के प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे।

(iv) समस्त कार्यों का चयन आवश्यकता के अनुरूप एवं सही पाया गया।

(v) चयनित 7 कार्यों में 2 कार्य वर्ष 2005–06 में, 2 2006–07 में एवं 3 कार्य 2007–08 में पूर्ण हुए। अर्थात कार्य स्वीकृति के अनुसार ही निर्धारित समय में पूर्ण हुए।

(vi) सर्वेक्षण के समय सभी कार्यों की स्थिति सन्तोषप्रद पायी गयी एवं सभी कार्यों का उपयोग हो रहा था।

(vii) इन चयनित 7 कार्यों के लिए 217 श्रमिकों का नियोजन हुआ एवं नियोजित श्रमिकों ने लगभग 261 दिवस कार्य किया अथात लगभग 31 श्रमिकों ने 37 दिवस औसत प्रति कार्य मजदूरी की।

(viii) नियोजित श्रमिकों में 6 अनु. जाति के, 122 अनु. जनजाति के एवं 89 श्रमिक अन्य जाति के थे। दौसा जिले की महुआ पंचायत समिति में 103 में से 100 श्रमिक जनजाति के एवं उदयपुर की सराड़ा पंचायत समिति में 20 में से 20 श्रमिक जनजाति के थे। अर्थात महुआ एवं सराड़ा में जनजाति के श्रमिकों का नियोजन अधिक हुआ। कुल नियोजित श्रमिकों में 59 महिलाएँ एवं 158 पुरूष थे। अर्थात महिलाओं की तुलना में अधिक पुरूषों ने इन कार्यों पर मजदूरी की।

(ix) 7 चयनित कार्यों में समस्त 7 कार्यों के लिए टास्क अनुसार 75 रूपये या अधिक मजदूरी का भुगतान किया गया।

(x) सभी कार्यों के लिए मजदूरों को नकद भुगतान किया गया।

(xi) अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति में कुआं निर्माण के कार्य में कुए में चट्टान आने से निर्धारित राशि में कार्य करवाने में कठिनाई बतायी गयी। शेष सभी स्थानों पर कार्य पूर्ण/सन्तोषप्रद एवं उपयोग में लाने योग्य पाये गये एवं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं दर्शायी गई।

3.2 चयनित 81 कार्यों की एकजाही प्रगति निम्नानुसार पायी गयी :–

चयनित कार्यों की सर्वेक्षण तिथी की स्थिति–एक नजर में

क्र. सं.	निर्माण कार्य का प्रकार	चयनित कार्य	सर्वे तिथि को पूर्ण कार्य	स्वीकृत राशि कुल (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	महिला	पुरूष	ए.पी. एल.	बी.पी. एल.	औसत कार्य पूर्ण होने की अवधि	औसत नियोजित श्रमिक	उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी	कार्य सन्तोषप्रद	उपयोग
1	सड़क निर्माण	23	22	41.55	37.49	413	502	466	449	35	40	22	22	22
2	सामुदायिक भवन	20	17	49.73	40.74	195	293	347	141	62	24	17	17	17
3	कमरा निर्माण	12	10	22.20	19.65	130	308	332	106	46	36	11	11	10
4	चारदीवारी	7	7	12.50	10.90	88	246	229	105	39	48	6	6	6
5	खरन्जा/फर्श निर्माण	5	5	9.50	10.48	103	179	253	29	37	56	5	5	5
6	विश्राम गृह	4	4	7.80	7.70	70	73	107	36	83	36	4	4	4
7	शौचालय	3	3	1.29	1.28	29	17	16	30	21	15	3	3	3
8	अन्य– बोरिंग, खेली निर्माण, डेयरी, कुआं निर्माण, तलैया, गाय शेड एवं प्याऊ निर्माण	7	7	7.90	7.92	59	158	169	48	37	31	7	7	7
	कुल योग :	**81**	**75**	**152.47**	**136.16**	**1087**	**1776**	**1919**	**944**			**75**	**75**	**74**
	प्रतिशत :		**95**		**89.3**									

(i) संक्षेप में चयनित 81 कार्यों में 75 कार्य सर्वे तिथि को पूर्ण पाये गये।

(ii) चयनित 81 कार्यों हेतु 152.47 लाख रूपये स्वीकृत एवं 136.16(93.30) लाख रूपये व्यय हुए।

(iii) चयनित कार्यों हेतु कुल 2863 श्रमिकों का नियोजन हुआ जिनमें 1087 महिलाएँ एवं 1776 पुरूष पाये गये।

(iv) नियोजित श्रमिकों में 1919 ए.पी.एल. एवं 944 बी.पी.एल. वर्ग के श्रमिक पाये गये।

(v) कार्य पूर्ण होने की अवधि 21 से 83 दिवस प्रति कार्य तक पायी गयी।

(vi) प्रति कार्य श्रम नियोजन 15 से 56 तक पाया गया।

(vii) सर्वे तिथि तक चयनित 81 में से 75 कार्य सन्तोषप्रद एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी पाये गये एवं 74 कार्यों का उपयोग होना पाया गया।

(viii) निर्माण कार्यों के पश्चात् रखरखाव की कमी, कार्यों पर अतिक्रमण, स्वीकृत राशि में निर्माण कार्य करवाने में कठिनाई एवं प्रति श्रमिक मजदूरी की दर में कमी की कठिनाईयाँ पायी गयी।

संक्षेप में मूल्यांकन दल द्वारा सर्वेक्षित 81 कार्यों में 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण पाये गये। पूर्ण कार्यों का जन कल्याण हेतु उपयोग हो रहा था। निर्मित कार्यों की गुणवत्ता सन्तोषप्रद थी। समग्र रूप से परिलक्षित होता है कि योजना के तहत करवाये गये कार्य स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उपयोगी एवं योजना के प्रावधानों के अनुरूप पाये गये।

सर्वेक्षण हेतु चयनित ग्रामों की स्थिति

भाग–II

3.2.1 विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के मूल्यांकन हेतु योजना के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कर सामयिक एवं वस्तुपरक ठोस तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों को परिलक्षित करने के उद्धेश्य से योजना के तहत् करवाये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन के साथ ही चयनित ग्राम, जिनमें कार्य करवाये गये थे, उन ग्रामों की जनसंख्या, उपलब्ध सुविधाएँ आदि की जानकारी भी एकत्रित की गयी। जिनमें योजना के उद्धेश्यों के परिप्रेक्ष्य में करवाये गये कार्यों की उपयोगिता की समीक्षा की जा सके, जो निम्नानुसार पायी गयी।

3.2.2 **चयनित ग्राम** :

अध्ययन हेतु चयनित जिलों अजमेर, दौसा, करौली एवं उदयपुर के कुल 28 ग्रामों में योजनान्तर्गत हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया गया था। जिलेवार चयनित ग्रामों की सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र.सं.	जिला	चयनित पंचायत समिति	चयनित ग्राम पंचायत	चयनित ग्राम
1	अजमेर	2	4	10
2	दौसा	2	4	6
3	करौली	2	6	6
4	उदयपुर	2	4	6
	योग :	**8**	**18**	**28**

अध्ययन हेतु चयनित 28 ग्रामों में चयनित 8 विद्यायक क्षेत्र/पंचायत समितियों के तत्कालीन विधायकों ने कार्यों की अनुशंषा की थी। क्षेत्रवार विधायकों की सूची निम्नानुसार पायी गयी।

क्र.सं.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	तत्कालीन विधायक
1	अजमेर	भिनाय	श्री सांवरमल जाट
		जवाजा(ब्यावर)	श्री देवी शंकर भूतड़ा
2	दौसा	बांदीकुई	श्री मुरारीलाल मीणा
		महुआ	श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर
3	करौली	हिण्डौन	श्री कालूलाल
		सपोटरा	श्री सुखलाल मीणा
4	उदयपुर	खैरवाड़ा	श्री नानालाल अहारी
		सराडा	श्री रघुवीर सिंह मीणा

3.2.3 **चयनित ग्रामों की जनसंख्या** :

चयनित 28 ग्रामों की कुल आबादी सर्वे के समय लगभग 98315 पायी गयी थी। इसमें 23085 (23.5 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 27372(27.8 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 25432(25.9 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एवं 22426 (22.8 प्रतिशत) अन्य जातियों के व्यक्ति थे। अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों का जिलेवार वर्गीकरण निम्नानुसार पाया गया :–

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	चयनित ग्रामों की कुल आबादी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
1	अजमेर	भिनाय	14021	2112 (15.1 %)	203 (1.4 %)	11706 (83.5%)
		जवाजा	3597	258 (7.2 %)	3 (0.1 %)	3336 (92.17%)
2	दौसा	बांदीकुई	18518	4730 (25.5 %)	6800 (36.7 %)	6988 (37.8%)
		महुआ	5569	1337 (24.0 %)	809 (14.5 %)	3423 (61.5%)

..... निरन्तर

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	चयनित ग्रामों की कुल आबादी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
3	करौली	हिण्डौन	6100	1200 (19.7 %)	850 (13.9 %)	4050 (66.40%)
		सपोटरा	21500	7400 (34.4 %)	9200 (42.8 %)	4900 (22.8%)
4	उदयपुर	खैरवाड़ा	15588	2018 (12.9 %)	1824 (11.7 %)	11746 (75.4%)
		सराड़ा	13422	4030 (30.0 %)	7683 (57.2 %)	1709 (12.8%)
			98315	**23085 (23.5)**	**27372 (27.8)**	47858 (48.7%)

चयनित जिलों के चयनित ग्रामों की जनसंख्यावार समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि अजमेर जिले की भिनाय में अनुसूचित जाति का 15.1 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का 1.4 प्रतिशत तथा जवाजा में अनुसूचित जाति का 7.2 एवं अनुसूचित जनजाति का 0.1 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व हो पाया है। दौसा जिले की चयनित पंचायत समिति बांदीकुई में अनुसूचित जनजाति का 36.7 प्रतिशत का एवं अनुसूचित जाति का 25.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुआ है जबकि महुआ के ग्रामों में अनुसूचित जाति के सदस्य जनजाति की तुलना में अधिक पाये गये। करौली जिले के हिण्डौन में अनु. जनजाति की तुलना में अनु. जाति के व्यक्ति अधिक पाये गये, जबकि सपोटरा में अनु. जनजाति का बाहुल्य पाया गया। इसी प्रकार उदयपुर की सराड़ा पंचायत समिति में भी अनु. जनजाति के व्यक्तियों का बाहुल्य था।

3.2.4 आवास :

चयनित चारों जिलों में 98315 व्यक्तियों की जनसंख्या के लिये लगभग 19145 आवास पाये गये। जिनमें लगभग 13830 (72.24 प्रतिशत) आवास पक्के एवं शेष 5315 (27.76 प्रतिशत) आवास कच्चे/झौंपड़े पाये गये। अर्थात चयनित ग्रामों में लगभग 72.4 प्रतिशत लोग पक्के घरों में निवास कर रहे हैं। जिलेवार पक्के/कच्चे घरों की सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	कुल घर	पक्के घर	पक्के घरों का प्रतिशत
1	अजमेर	भिनाय	2896	2010	69.4
		जवाजा	814	691	84.9
2	दौसा	बांदीकुई	6435	5565	86.5
		महुआ	724	512	70.7
3	करौली	हिण्डौन	775	650	83.9
		सपोटरा	2000	1820	91
4	उदयपुर	खैरवाड़ा	3080	2331	75.7
		सराड़ा	2421	251	10.4
		योग :	**19415**	**13830**	**71.2**

उपरोक्त सूचनानुसार सभी जिलों में चयनित ग्रामों में लगभग 70–75 प्रतिशत आबादी पक्के घरों में निवास कर रही थी। जिला उदयपुर की सराड़ा पंचायत समिति के चयनित ग्रामों में पक्के घरों की संख्या मात्र 10.4 थी।

3.2.5 उपलब्ध शिक्षण सुविधाएँ :

चयनित ग्रामों में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	चयनित ग्राम में उपलब्ध विद्यालयों की संख्या				
			प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		योग
			सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	
1	अजमेर	भिनाय	6	4	6	2	18
		जवाजा	–	–	5	–	5
2	दौसा	बांदीकुई	12	13	4	11	40
		महुआ	5	3	3	5	16
3	करौली	हिण्डौन	4	–	1	–	5
		सपोटरा	7	5	7	5	24
4	उदयपुर	खैरवाड़ा	6	11	4	5	26
		सराड़ा	7	2	3	1	13
		योग :	**47**	**38**	**33**	**29**	**147**

दी गयी उपरोक्त सूचना से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों के चयनित समस्त ग्रामों में सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाऐं उपलब्ध थी, जो राज्य के ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के प्रसार का परिचायक है। इन शिक्षण संस्थाओं में यदि भवन सुविधा अपर्याप्त हो तो विद्यालयों द्वारा इस योजना के तहत् भवन निर्माण/विस्तार कार्य करवाना प्रासंगिक होगा।

3.2.6 चिकित्सा सुविधाऐं :

चयनित 28 ग्रामों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	प्राथमिक चिकित्सालय		
			सरकारी	निजी	योग
1	अजमेर	भिनाय	4	–	4
		जवाजा	2	–	2
2	दौसा	बांदीकुई	3	3	6
		महुआ	2	3	5
3	करौली	हिण्डौन	1	–	1
		सपोटरा	3	4	7
4	उदयपुर	खैरवाड़ा	2	3	5
		सराड़ा	5	–	5
		योग :	**22**	**13**	**35**

उपरोक्त सूचना से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि चयनित ग्रामों में 22 सरकारी चिकित्सा केन्द्र एवं 13 गैर सरकारी चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध थे। चयनित 22 ग्रामों में से 20 ग्रामों में एक या एक से अधिक सरकारी अथवा निजी चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध पाये गये। 6 ग्रामों में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं पायी गयी, जिनकी सूचना निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	चयनित ग्राम (जिसमें कोई चिकित्सा प्रावधान नहीं पाया गया)	
1	अजमेर	भिनाय	1	गौवलिया
		जवाजा	1	बडियामाऊ
			2	बनापड़ा का बाड़िया
			3	कालीकोकर
2	करौली	हिण्डौन	1	काचरोली
			2	ब धारा

उपरोक्त ग्राम जिनमें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं पायी गयी। उनकी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए 1000 से अधिक आबादी वाले 3 ग्रामों में किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के प्रावधान किये जाने चाहिये।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	आबादी (सर्वे तिथी को)
1	गोपालिया (भिनाय)	1259
2	बडियामाऊ (जवाजा)	650
3	बनापडा का बाडिया (जवाजा)	607
4	काकसीकोकर	413
5	कांचरोली (हिण्डौन)	1000
6	बन्धारा (हिण्डौन)	3600

3.2.6 **पेयजल सुविधा** :

चयनित ग्रामों में पेयजल सुविधा की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

पेयजल योजना	संख्या	ग्राम जिनमें सुविधा उपलब्ध पायी गयी
हैण्डपम्प	680	28
ट्यूबवैल	68	20
अन्य योजनाओं में उपलब्ध सुविधाऐं	146	21

चयनित सभी ग्रामों में हैण्डपम्प सुविधा पायी गयी। 20 ग्रामों में 1 या एक से अधिक ट्यूबवैल पाये गये एवं 21 ग्रामों में नल योजना की सुविधा भी पायी गयी। अर्थात सभी ग्राम पेयजल की एक या अधिक योजनाओं से जुड़े हुए पाये गये।

3.2.7 **विद्युत सुविधा** :

चयनित 28 में से 25 ग्रामों में सर्वे के समय बिजली उपलब्ध थी एवं लगभग 70–75 प्रतिशत घरों में बिजली के कनेक्शन लिये हुए थे। उदयपुर जिले की सराड़ा पंचायत समिति के चयनित ग्राम पाराई एवं खरबर अ, ब में बिजली सुविधा नहीं पायी गयी।

3.2.8 **मुख्य सड़क से दूरी** :

चयनित 28 ग्रामों की मुख्य सड़क से दूरी 0 से 16 किलोमीटर तक पायी गयी। जिलेवार ग्रामों की मुख्य सड़क से दूरी संबंधी सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

जिला	चयनित ग्रामों की मुख्य सड़क से दूरी
अजमेर	0 से 3 किलोमीटर तक
दौसा	1 से 16 किलोमीटर तक
करौली	0 से 5 किलोमीटर तक
उदयपुर	0 से 7 किलोमीटर तक

दौसा जिले के चयनित ग्राम मुनापुरा की मुख्य सड़क से दूरी सर्वाधिक 16 किलोमीटर तक पायी गयी। सुझाव दिया जाता है कि जिन ग्रामों की मुख्य सड़क से दूरी 3 किलोमीटर से अधिक है, उन्हें इस या किसी अन्य योजना के तहत् जोड़कर सम्पर्क सड़क बनवाने के प्रयास करने चाहिये।

3.2.9 **परिवहन सुविधा** :

चयनित 28 ग्रामों में से 12 ग्राम राजकीय बस सेवा से जुड़े हुए थे। 16 ग्रामों में निजी बस सेवा एवं 14 ग्रामों में लोकल जीप आदि की सेवाऐं उपलब्ध थी। चयनित ग्रामों में एक से अधिक प्रकार की सेवा उपलब्ध होने से उपलब्ध सुविधाओं की संख्या कुल ग्रामों की संख्या से अधिक पायी गयी।

इसी प्रकार चयनित ग्रामों में लगभग 6250 मोटर साईकिल,लगभग 450 घरों में कार की सुविधा भी उपलब्ध पायी गयी।

3.2.10 **मनोरंजन सुविधा** :

चयनित 28 में से 27 ग्रामों में टी.वी. उपलब्ध पाये गये। इन 27 ग्रामों में लगभग 9856 टी.वी. उपलब्ध पाये गये। अर्थात 19145 घरों में से 9856 (51.3 प्रतिशत) घरों में टी.वी. सुविधा उपलब्ध थी।

3.2.11 **दूरभाष** :

चयनित 28 में से 25 ग्रामों में दूरभाष सुविधा उपलब्ध थी। उदयपुर की सराड़ा पंचायत समिति के पाराई एवं खरबर अ, ब ग्राम दूरभाष सुविधा से जुड़े हुए नहीं पाये गये। चयनित ग्रामों में लगभग 7252 परिवार (37.8 प्रतिशत) दूरभाष सुविधा से जुड़े हुए पाये गये।

स्वीकृत कार्यों से सामाजिक आर्थिक प्रभाव

चयनित ग्रामों में एम.एल.ए. योजना के तहत् वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत कार्य

जिला	पंचायत समिति	ग्राम	योजना के तहत करवाये गये कार्य		उपयोग
अजमेर	भिनाय	भिनाय	1	सीमेन्ट सड़क	सभी सृजित सम्पत्तियों का सार्वजनिक कार्यों हेतु उपयोग
			2	सामुदायिक भवन निर्माण	
			3	पटवार विश्रान्ति गृह	
		गोपालपुरा	1	सामुदायिक भवन–4	सार्वजनिक उपयोग
		गोवलिया	1	सीमेन्ट सड़क	सार्वजनिक उपयोग सुविधा में वृद्धि
			2	सार्वजनिक कुआ में बोरिंग	
			3	सामुदायिक भवन निर्माण	
		खेड़ी	1	कमरा/बरामदा	सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध
			2	सार्वजनिक बावड़ी	जलस्तर में वृद्धि
			3	बोरिंग	जलस्तर में वृद्धि
		करांटी	1	खेली निर्माण	सार्वजनिक उपयोग, पशुओं को पानी पिलाने की सुविधा एवं दुग्ध संग्रह केन्द्र से दुग्धपालकों को सुविधा
			2	सामुदायिक भवन	
			3	सार्वजनिक दुग्ध संग्रहालय केन्द्र	
	जवाजा	सूरजपुरा	1	कुआं निर्माण	पेयजल सुविधा
			2	विश्राम गृह	यात्रियों को सुविधा
		बाडियामाऊ	1	सामुदायिक भवन	सामाजिक कार्यों के लिये उपयोग

.... निरन्तर

जिला	पंचायत समिति	ग्राम	योजना के तहत करवाये गये कार्य		उपयोग
		धनापड़ा का वाड़िया	2	सामुदायिक भवन	सार्वजनिक कार्यों के लिए सुविधा
		किशनपुरा	1	सामुदायिक भवन–2	सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण व उपयोग
			2	सीमेन्ट	
			3	सड़क/बरामदा खरन्जा/फर्श–विश्राम गृह	
		काली	1	धर्मशाला	निर्माण से ग्राम में ठहरने की सुविधा
			2	विश्राम गृह	
दोसा	बांदीकुई	बसवा	1	विद्यालय में चौक पक्का, फर्श निर्माण	छात्रों को बैठने की सुविधा
			2	सामुदायिक भवन–3	खिड़की, दरवाजे के अभाव से उपयोग नहीं।
		आलियावाडा	1	सी सी रोड निर्माण	सड़क से आवागमन की सुविधा
		निहालपुरा	1	ग्रेवल सडक	वर्षा में आने जाने की सुविधा कार्य अपूर्ण
		बालाहेड़ी	1	चारदीवारी–3	गांव का विकास, उपयोग, आवागमन की सुविधा
			2	सी सी रोड़–3	
			3	ग्रेवल सड़क	
			4	सामुदायिक भवन–1	
		कोट	1	सी.सी.रोड़–1	स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा व आवागमन की सुविधा
			2	कमरा निर्माण–3	
		मुनापुरा	1	सी सी रोड	जन उपयोग, सार्वजनिक सुविधा में वृद्धि
			2	ग्रेवल सडक	
			3	तलाई खुदाई	
करौली	हिण्डौन	कांचरोली	1	कमरा निर्माण	विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा
			2	हेण्डपम्प	पेयजल सुविधा
		बन्धारा	1	चारदीवारी	भवन की सुरक्षा
			2	खरन्जा	यातायात सुविधा का विस्तार
		धंधावली	1	सी सी रोड	निजी उपयोग

.... निरन्तर

जिला	पंचायत समिति	ग्राम	योजना के तहत करवाये गये कार्य		उपयोग
	सपोटरा	बूकना	1	सामुदायिक भवन	पहाड़ी पर होने से उपयोग में कठिनाई कार्य अपूर्ण
			2	कमरा, बरामदा	
			3	चारदीवारी	
		एकट	1	सामुदायिक भवन	स्थान उपयुक्त नहीं
			2	हॉल/बरामदा	विद्यालय में उपयोग
		सपोटरा	1	हैण्ड पम्प	उपयोग
			2	कमरा निर्माण	
उदयपुर	खैरवाडा	ऋषभदेव	1	सामुदायिक भवन निर्माण/मरम्मत–4	ग्राम का विकास एवं उपयोग
			2	कक्षा कक्ष–3	
			3	शौचालय–1	
			4	बाउण्ड्री वाल–2	
			5	सी सी रोड–2	
			6	चबूतरा–1	
		खैरवाडा	1	सामुदायिक भवन–2	सभी उपयोगी
			2	कक्षा कक्ष–1	
			3	शौचालय–1	
			4	टीनशैड–1	
	सराडा	परमाद	1	प्याऊ	कार्य उपयोगी, आवश्यक
			2	कक्षा कक्ष–2	
			3	शौचालय–1	
			4	सी सी रोड–2	
			5	बरामदा –1	
		खरबर	1	सडक डामरीकरण	आवागमन सुविधा
			2	सामुदायिक भवन	उपयोगी
			3	सी सी रोड	उपयोगी
			4	तालाब सुदृढीकरण	उपयागी

योजना के तहत चयनित ग्रामों में करवाये कार्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामों में सभी कार्य आवश्यकता के अनुरूप चयनित किये गये हैं। कार्यों से ग्रामों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है। लोगों को सार्वजनिक कार्यों के लिए बैठने के स्थान, सड़कों से आवागमन सुविधा, विद्यालयों में कक्षों से निर्माण से विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा का विस्तार हुआ। सभी कार्य सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वीकृत हुए पाये गये।

(अनुसूचियों/साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त परिणाम)

भाग–III

3.3.1 योजना से संबंधित समान पहलुओं का मूल्यांकन में समावेश करने के उद्धेश्य को दृष्टिगत रखते हुए चयनित कार्यों के भौतिक सत्यापन, चयनित ग्रामों में उपलब्ध सुविधाएँ, जनसंख्या आदि की समीक्षा के साथ ही कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की स्थिति, उपलब्ध रोजगार आदि की जानकारी हेतु चयनित कार्यों में नियोजित श्रमिकों का चयन करते हुए संबंधित अधिकारियों/गैर अधिकारियों से भी सर्वेक्षण के समय योजना के विभिन्न तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी संकलित की गयी। चयनित श्रमिक एवं अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग की सूची निम्नानुसार है :–

जिला	चयनित कार्य	चयनित श्रमिक	चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी
अजमेर		54	8
दौसा		54	12
करौली		61	14
उदयपुर		59	11
योग :		**228**	**45**

सर्वेक्षण के समय चयनित 228 श्रमिकों एवं 45 अधिकारियों/गैर अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं/अभिव्यक्त विचारानुसार योजना संबंधी मुख्य तथ्य निम्नानुसार पाये गये।

3.3.2 **चयनित श्रमिकों की जाति** :

चयनित 228 श्रमिकों में से 76(33.33 प्रतिशत) श्रमिक अनुसूचित जाति, 81 (35.53 प्रतिशत) जनजाति एवं 71(31.14 प्रतिशत) अन्य जाति के श्रमिक पाये गये। चयनित श्रमिकों की जाति का जिलेवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि उदयपुर के खैरवाड़ा एवं सराड़ा पंचायत समिति के चयनित 59 श्रमिकों में शत प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जनजाति एवं करौली जिले की पंचायत समिति हिण्डौन एवं सपोटरा में चयनित 61 में से 47 श्रमिक अनुसूचित जाति के थे, जैसा कि निम्न सारिणी से स्पष्ट होता है :–

क्र.सं.	जिला	चयनित पंचायत समिति	चयनित श्रमिक	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य
1	अजमेर	भिनाय	30	8	1	21
		जवाजा	24	—	—	24
2	दौसा	बांदीकुई	24	8	6	10
		महुआ	30	13	13	4
3	करौली	हिण्डौन	34	34	—	—
		सपोटरा	27	13	2	12
4	उदयपुर	खैरवाड़ा	29	—	29	—
		सराड़ा	30	—	30	—
		योग :	**228**	**76 (33.33%)**	**81 (35.53%)**	**71 (31.14%)**

सारिणी में दी गयी सूचनानुसार स्पष्ट परिलक्षित होता है कि चयनित श्रमिकों में उदयपुर में अनु. जनजाति के श्रमिकों, करौली में अनु. जाति एवं दौसा में अनुसूचित जाति–जनजाति दोनों वर्गों का लगभग समान प्रतिनिधित्व रहा है। अजमेर जिले में चयनित श्रमिकों में सामान्य जाति के श्रमिकों का चयन बहुलता से हुआ है। संक्षेप में चयनित श्रमिकों में अनुसूचित जाति–जनजाति को लगभग 70 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है एवं जिलों से चयनित क्षेत्रों में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति की उपलब्धता के आधार पर श्रमिकों का चयन हुआ है।

3.3.3 आयु :

चयनित 228 श्रमिकों में 169 (74.12 प्रतिशत) श्रमिक 20 से 40 वर्ष की आयु के पाये गये। 20 वर्ष से कम आयु के मात्र 24 (10.53 प्रतिशत) एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के 35(15.35 प्रतिशत) श्रमिक पाये गये। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि आयु के अनुसार श्रमिकों का चयन उपयुक्त था। श्रम की दृष्टि से 20 से 40 वर्ष की वर्ष कार्यशील उम्र मानी जाती है।

3.3.4 **व्यवसाय** :

चयनित 228 श्रमिकों में से 170(74.56 प्रतिशत) श्रमिकों का व्यवसाय मजदूरी ही थी। शेष 58(25.44 प्रतिशत) श्रमिक कृषि, पशुपालन के साथ ही मजदूरी भी कर रहे थे।

3.3.5 **महिला श्रमिक** :

चयनित 228 श्रमिकों में 58(25.44 प्रतिशत) महिला श्रमिक पायी गयी। शेष 170(74.56 प्रतिशत) पुरूष थे। अर्थात नियोजित श्रमिकों में 25.44 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं का था।

3.3.6 **आर्थिक आधार** :

चयनित 228 श्रमिकों में 128 (56.14 प्रतिशत) श्रमिक ए.पी.एल. एवं 98(42.98 प्रतिशत) श्रमिक बी.पी.एल. की सूची में होने से चयनित हुए थे। मात्र 2(0.88 प्रतिशत) श्रमिक ए.पी.एल., बी.पी.एल. श्रेणी से चयनित नहीं थे। अर्थात योजना के तहत चयनित श्रमिकों के चयन का आधार ए.पी.एल., बी.पी.एल. में श्रेणीबद्ध होना पाया गया, जो योजना के प्रावधानानुसार था।

3.3.7 **परिवार में प्राप्त रोजगार** :

चयनित 228 श्रमिकों में से 217(95.18 प्रतिशत) श्रमिकों के परिवार में से किसी अन्य श्रमिक का चयन योजना के तहत नहीं हुआ था। दौसा जिले के 11(4.82 प्रतिशत) श्रमिकों के अनुसार उनके परिवार में उनके अतिरिक्त 1–1 सदस्य को योजना के तहत् रोजगार प्राप्त हुआ था।

3.3.8 **मजदूरी का भुगतान** :

चयनित 228 श्रमिकों में से 225 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो गया था। दौसा जिले की बांदीकुई पंचायत समिति में चयनित तीन श्रमिकों ने सर्वे के समय अवगत करवाया कि उन्हें ग्राम पंचायत से मजदूरी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। विभाग को ग्राम पंचायतों को समय पर सभी श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने के लिए निर्देशित करना चाहिये।

3.3.9 **मजदूरी की दर** :

चयनित 228 श्रमिकों में से 225 श्रमिकों को ही मजदूरी मिली। 225 श्रमिकों में से 165(73.33 प्रतिशत) श्रमिकों को 73 रूपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान प्राप्त हुआ था। 26 (11.55 प्रतिशत)श्रमिकों को 50 से 70 रूपये एवं 34(15.11 प्रतिशत) श्रमिकों को 100 से 150 रूपये की दर से भुगतान प्राप्त हुआ था। जो मजदूरी की निर्धारित दर के अनुसार सही पायी गयी। निर्धारित टास्क अनुसार कुशल श्रमिक/मजदूर को पूर्ण कार्य दिवस की मजदूरी 73 रूपये प्रतिदिन एवं कुशल श्रमिक की 120 से 140 रूपये प्रतिदिन तक मजदूरी देय होती है। तदनुसार योजना के तहत भुगतान नियमानुसार पाया गया। चयनित सरकारी/गैर सरकारी जन प्रतिनिधियों के अनुसार भी चयनित श्रमिकों को नियमानुसार मजदूरी का भुगतान प्राप्त हुआ था।

3.3.10 **भुगतान का प्रकार** :

चयनित 228 में से 221 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान शत प्रतिशत नकद एवं उदयपुर जिले के 7 श्रमिकों को नकद के साथ–साथ गेहूँ के रूप में मजदूरी का भुगतान प्राप्त हुआ था। चयनित 228 में से 214 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पाक्षिक अन्तराल से प्राप्त हुआ था। दौसा में मात्र 11 श्रमिकों को भुगतान साप्ताहिक किया गया। 3 श्रमिकों को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था।

संक्षेप में योजना के तहत् चयनित श्रमिकों का चयन नियामानुसार किया गया था मजदूरी का भुगतान अपवाद स्वरूप कुछ श्रमिकों को छोड़कर निर्धारित समय पर एवं निर्धारित नार्मस के अनुसार किया गया था। चयनित सरकारी/गैर सरकारी वर्ग के अनुसार भी चयनित कार्य का चयन उपयुक्त बताया गया। चयनित 45 में से 44 सरकारी/गैर सरकारी प्रतिनिधियों के अनुसार योजना के तहत् करवाये गये कार्यों का उपयोग हो रहा था।

शत प्रतिशत अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग की राय अनुसार कार्यों का चयन क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार हुआ था। सरकारी वर्ग के 5 एवं गैर सरकारी वर्ग के 2 प्रतिनिधियों ने कार्य के चयन के पश्चात् वित्तीय स्वीकृतियां विलम्ब से जारी होने की जानकारी दी थी। सभी चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग के अनुसार वित्तीय स्वीकृत जारी होने के 15 से 30 दिवस में कार्य प्रारम्भ करने की जानकारी दी गयी।

अधिकारी वर्ग के 7 एवं गैर अधिकारी वर्ग के 2 सदस्यों के अनुसार चयनित कार्यों के लिये स्वीकृत राशि अपर्याप्त बतायी थी जिसके कारण कार्य अपूर्ण रह जाना बताया गया।

योजना से सम्बन्धित सभा पहलुओं की समीक्षा करने से परिलक्षित होता है कि योजना के क्रियान्वयन से मुख्य कठिनाई वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होना, अपर्याप्त बजट होना एवं अपवाद स्वरूप कभी कभी गलत स्थान पर कार्य का चयन होना भी पाया गया। समग्र रूप से योजना अपने क्षेत्र मे प्रभावी रही है। स्वीकृत कार्यों में 2 से 5 प्रतिशत तक कार्यों में कुछ कारणों से व्यवधान रहा है विभाग को इस ओर ध्यान देकर शीघ्र कार्य सम्पादन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये जिससे जन सहयोग से जुड़ी योजना एवं जन प्रतिनिधियों की क्षेत्रीय विकास की भावना के पूर्ण लाभ स्थानीय जनता को प्राप्त हो सके।

———

अध्याय चतुर्थ

अध्ययन के मुख्य बिन्दु

स्थानीय आवश्यकताओं एवं आधारभूत सुविधाओं की संरचना को मद्धेनजर रखते हुए वर्ष 1999–2000 से विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की गयी थी। योजना के तहत प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के जनोपयोगी कार्य राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि की सीमा में (80.00 लाख रूपये वर्ष 2007–08 से) करवाने की अनुशंषा कर सकते हैं। अध्ययन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

(i) योजना के तहत् जन उपयोगी कार्यों की ही अनुशंषा की जा सकती है।

(ii) योजना के तहत् अनुशंषित कार्यों की स्वीकृति जिला परिषदों के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना का मूल्यांकन किया गया।

(iii) योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 40018.89 लाख रूपये की राशि जारी की गयी एवं 17284.32 लाख रूपये की राशि 1.4.05 को अवशेष पायी गयी।

(iv) संदर्भित अवधि में कुल 45792.43 लाख रूपये (79.91 प्रतिशत) राशि व्यय हुई।

(v) योजना के मूल्यांकन हेतु चार जिलों यथा अजमेर, दौसा, करौली एवं उदयपुर का चयन किया गया। अध्ययन हेतु 2005–06 से 2007–08 तक की सूचनाओं का संकलन किया गया।

(vi) चयनित जिलों में संदर्भित अवधि में कुल 4497 नवीन कार्य स्वीकृत किये गये एवं 812 कार्य 1.4.05 को शेष थे। कुल कार्य (5309)

(vii) मूल्यांकन हेतु चयनित चारों जिलों के 28 ग्रामों का चयन कर 81 कार्यों का भौतिक सत्यापन कर अनुसूचियाँ भरी गयी।

(viii) चयनित जिलों में योजना के तहत स्वीकृत कार्यों हेतु कुल 7813.36 लाख रूपये राशि उपलब्ध पायी गयी। (1.4.05 का अवशेष + स्वीकृत)

(ix) चयनित जिलों में स्वीकृति के विपरीत 6863.17 (87.84 प्रतिशत) राशि व्यय हुई।

(x) संदर्भित अवधि की राज्य स्तर एवं जिला स्तर से संकलित सूचनाओं में विभेद पाया गया। एक ही समय की सूचनाओं में जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर अन्तर नहीं रहे इसके लिए मॉनिटरिंग सुदृढ़ की जानी अपेक्षित है।

(xi) भौतिक सत्यापन हेतु चयनित 81 कार्यों में 23 कार्य सड़क निर्माण संबंधी, 20 सामुदायिक भवन, 12 कमरा निर्माण, 7 चारदीवारी, 5 खरन्जा/फर्श, 4 विश्राम गृह, 3 शौचालय एवं 7 अन्य कार्य पाये गये।

(xii) चयनित समस्त कार्य स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, नियमानुसार एवं सन्तोषप्रद पाये गये।

(xiii) 81 में 75 कार्य सर्वे के समय पूर्ण पाये गये। शेष तीन कार्यों में कार्य प्रगति पर अथवा बारिश के कारण रूका हुआ पाया गया।

(xiv) सर्वे तिथि को पूर्ण समस्त कार्यों का उपयोग हो रहा था एवं निर्माण कार्यों से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ सामान्य जनजीवन की सुविधाओं में भी वृद्धि हुई पायी गयी।

(xv) मूल्यांकन दल के अवलोकन एवं साक्षात्कार में कुछ स्थानों पर अतिक्रमण, चारदीवारी तोड़ना, निर्माण का चयन स्थल उपयुक्त नहीं होना, वित्तीय स्वीकृति देरी से आना आदि कठिनाईयाँ पायी गयी, जिनका निराकरण विभाग द्वारा ध्यान देकर करवाना अपेक्षित है।

(xvi) सर्वेक्षण में उदयपुर जिले के चयनित ग्रामों की मुख्य सड़क से दूरी 7 किलोमीटर तक पायी गयी। इन ग्रामों में शीघ्र किसी भी योजना में सम्पर्क सडकें बनवाने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

(xvii) चयनित 6 ग्रामों में सरकारी/निजी किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं पायी गयी। प्रस्तावित है कि 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जावे।

(xviii) योजना के तहत स्वीकृत कार्यों हेतु नियोजित श्रमिकों से 98 प्रतिशत श्रमिक ए. पी.एल./बी.पी.एल. श्रेणी के थे एवं नियोजित श्रमिकों में 25.4 प्रतिशत महिलाएँ थी। अर्थात योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं महिलाओं को रोजगार दिया गया। श्रमिकों का चयन सुविधानुसार उपयोगी पाया गया।

(xix) चयनित 228 श्रमिकों में से 225 को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक/पाक्षिक एवं नियमानुसार देय दर से किया गया। 3 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था।

(xx) समग्र रूप से योजना के तहत चयनित कार्य आवश्यकतानुसार योजना के प्रावधानों की दृष्टि से उपयुक्त पाये गये। कार्यों का उपयोग होने से जन सुविधाओं में वृद्धि हुई थी। कार्यों के निर्माण का स्तर भी सन्तोषप्रद पाया। अपवादस्वरूप कुछ कार्यों के चयन का स्थल अनुपयुक्त वित्तीय स्वीकृति में देरी होना, निर्माण के पश्चात् अतिक्रमण, सुविधाओं में विभेद आदि कठिनाईयाँ पायी गयी। विभाग द्वारा इन कठिनाईयों के समसामयिक निस्तारण पर ध्यान देकर योजना को और अधिक सफल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

————

परिशिष्ट– 1

District wise and year wise Financial position of MLALAD:- (Rs in Lacs)

S.N.	District	Balance as on 01-04-05	Budget Releases			Total	Expenditure			Total Exp.	%
			2005-06	2006-07	2007-08		2005-06	2006-07	2007-08		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ajmer	781.81	540.00	540.00	720.00	2581.81	795.99	925.29	753.48	2474.76	95.85
2	Alwar	1272.20	660.00	660.00	880.00	3472.20	528.70	770.41	1026.75	2325.86	66.99
3	Banswara	557.14	300.00	300.00	399.97	1557.11	374.66	364.16	441.78	1180.60	75.82
4	Baran	298.55	240.00	240.00	319.75	1098.30	244.12	205.89	263.71	713.72	64.98
5	Barmer	356.03	360.00	360.00	480.00	1556.03	371.72	392.70	510.91	1275.33	81.96
6	Bharatpur	1065.89	540.00	540.00	720.00	2865.89	610.02	636.35	804.18	2050.55	71.55
7	Bhilwara	595.44	480.00	480.00	640.00	2195.44	660.38	600.80	758.56	2019.74	92.00
8	Bikaner	391.77	300.00	300.00	400.00	1391.77	307.75	322.06	565.58	1195.39	85.89
9	Bundi	464.94	240.00	240.00	319.57	1264.51	288.50	258.26	331.78	878.54	69.48
10	Chittorgar	660.35	420.00	420.00	587.00	2087.35	411.60	495.40	628.25	1535.25	73.55
11	Churu	623.30	360.00	360.00	480.00	1823.30	482.57	484.02	631.36	1597.95	87.64
12	Dausa	526.20	300.00	300.00	400.00	1526.20	309.74	306.26	383.77	999.77	65.51
13	Dholpur	205.60	180.00	180.00	240.00	805.60	168.29	192.73	315.31	676.33	83.95
14	Dungarpur	295.23	240.00	240.00	320.00	1095.23	383.43	329.21	432.53	1145.17	104.56
15	G.Nagar	390.45	300.00	300.00	400.00	1390.45	334.03	251.00	466.04	1051.07	75.59
16	H.Garh	310.82	360.00	360.00	480.00	1510.82	328.82	323.18	567.44	1219.44	80.71
17	Jaipur	1444.75	900.00	900.00	1198.49	4443.24	932.54	1765.08	849.12	3546.74	79.82
18	Jaisalmer	74.43	60.00	60.00	80.00	274.43	75.40	65.25	87.3	227.95	83.06
19	Jalore	201.74	300.00	300.00	394.11	1195.85	335.93	347.12	432.66	1115.71	93.30
20	Jhalawar	421.93	300.00	300.00	400.00	1421.93	287.35	278.55	469.38	1035.28	72.81
21	Jhunjhunu	385.40	420.00	420.00	560.00	1785.40	516.68	498.85	546.15	1561.68	87.47
22	Jodhpur	1123.22	540.00	540.00	720.00	2923.22	699.89	614.50	718	2032.39	69.53
23	Karoli	323.57	240.00	240.00	320.00	1123.57	350.89	359.17	378.3	1088.36	96.87
24	Kota	577.67	300.00	300.00	400.00	1577.67	328.69	439.00	526.78	1294.47	82.05
25	Nagore	674.19	600.00	600.00	800.00	2674.19	718.28	785.40	790.79	2294.47	85.80
26	Pali	660.75	480.00	480.00	640.00	2260.75	564.08	527.70	613.32	1705.10	75.42
27	Rajsamand	469.16	240.00	240.00	320.00	1269.16	283.03	339.21	393.25	1015.49	80.01
28	S.Madhopur	420.01	240.00	240.00	320.00	1220.01	346.04	326.40	163.25	835.69	68.50
29	Sikar	522.89	480.00	480.00	640.00	2122.89	471.41	764.83	625.31	1861.55	87.69
30	Sirohi	139.87	180.00	180.00	240.00	739.87	185.35	190.93	247.31	623.59	84.28
31	Tonk	467.24	300.00	300.00	400.00	1467.24	286.07	316.17	311.97	914.21	62.31
32	Udaipur	581.78	600.00	600.00	800.00	2581.78	732.13	748.92	819.23	2300.28	89.10
	Total	**17284.32**	**12000.00**	**12000.00**	**16018.89**	**57303.21**	**13714.08**	**15224.80**	**16853.60**	**45792.43**	**79.91**